



मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग

# मध्यप्रदेश वनांचल संदेश

जुलाई-सितंबर, 2019

RNI Reference No : 1322876 • Title Code : MPHIN34795 • Year : 3 • Edition : 12

## MADHYA PRADESH VANANCHAL SANDESH

July-September, 2019

अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई-सितंबर, 2019 (मिन्टो हॉल भोपाल)



माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन श्री कमल नाथ जी, मान. वन मंत्री म.प्र. शासन श्री उमंग सिंहार जी, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती, प्र.मु.व.सं (एवं वन बल प्रमुख) श्री जे.के. मोहन्ती



माननीय वन मंत्री श्री उमंग सिंहार जी एवं वरिष्ठ अधिकारीण द्वारा वृक्षारोपण



© सुधीर मिश्र





प्रदर्शन प्रक्षेत्र जिला देवास

**Patron :**

**Dr. U. Prakasam**

Principal Chief Conservator of Forests  
(HOFF), Satpura Bhawan, Bhopal

**Editorial Board :**

**Rajesh Shrivastav**

Principal Chief Conservator of Forests  
(Research, Extension and Lok Vaniki)

**Dr. Abhay Kumar Patil**

Additional Principal Chief Conservator of Forests  
(Complaints and Redressal)

**H.S. Negi**

Additional Principal Chief Conservator of Forests  
(Wildlife)

**Pushkar Singh**

Additional Principal Chief Conservator of Forests  
(Development)

**S.P. Jain**

DCF

**B.K. Dhar**

Prachar Adhikari

**Editor :**

**Dr. P.C. Dubey**

Additional Principal Chief Conservator of Forests  
(Research, Extension and Lok Vaniki)

**Prachar Prasar Prakosth Team :**

Gaurav Rajput, Deepak Meshram, Sandeep Saksena

**Contact :**

Prachar Prasar Prakosth, Room no. 140,  
Satpura Bhawan, Bhopal  
Email : dcfpracharprasar@mp.gov.in  
Contact : 07552524293

**Owner & Publisher:**

Prachar Prasar Prakosth (M.P.F.D.)

Printed by Madhya Pradesh Madhyam

*The views expressed in various articles belong to the authors of the article. Madhya Pradesh Forest Department may not agree with the views expressed by authors and will not be responsible for the correctness of the article. Madhya Pradesh Forest Department is not responsible for any liability arising out of context/text of the article published in this magazine.*

*No part of this magazine can be reproduced and published without the consent of the publisher of Madhya Pradesh Vananchal Sandesh. All legal disputes will come under the jurisdiction of Bhopal, Madhya Pradesh.*

Published by :- APCCF (R/E) on behalf of MP Forest Department.

Printed by :- Super Printers & Plastics Works on behalf of Madhya Pradesh Madhyam.

Printed at :- Super Printers & Plastics Works, Plot No. 22 Nadeem House, Press Complex Zone 1 MP Nagar, Bhopal.

Published at Room No. 140, Prachar Prasar Prakosth, Satpura Bhawan, Bhopal, M.P.

Email :- pracharprasarprakosth@mp.gov.in, Contact No. 0755-2524293, Editor :- Dr. P.C. Dubey, APCCF (R/E)

# इस बार के अंक में



- |   |    |
|---|----|
| 1) विश्व बाघ दिवस 2019  | 1  |
| 2) टिश्यू कल्वर विधि द्वारा सागौन पौधा तैयारी, इंदौर अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त | 6  |
| 3) दम्पत्ति वन महोत्सव, भोपाल 25 सितम्बर, 2019                                  | 10 |





► 11



► 19

- |   |    |
|---|----|
| 4) राष्ट्रीय वन शहीद दिवस – 11 सितम्बर, 2019 शहीद वनकर्मियों के परिवारों का सम्मान            | 11 |
| 5) मध्यप्रदेश की दुर्लभ, संकटापन्न एवं सीमित क्षेत्रीय वृक्ष प्रजातियाँ                       | 12 |
| 6) संकटापन्न (RET) प्रजाति के वृक्षों का रोपण (वल्लभ भवन प्रांगण भोपाल)                       | 19 |
| 7) मियॉवाकी पद्धति द्वारा स्थानीय प्रजातियों के प्राकृतिक वन की स्थापना, अहमदपुर रोपणी, भोपाल | 20 |
| 8) नदी तटीय क्षेत्र प्रबंधन एवं पुनः स्थापना  | 23 |



► 20



► 23



► 29



► 30



► 37

9) दुर्लभ प्रजाति के कछुये (पातल) का रेस्क्यु 29	
10) आप्रपाली आम (गोटी द्वारा रोपण) रीवा 30	
12) अहमदपुर नर्सरी में डॉ. रामाराव द्वारा ड्रिप सिंचाई, पॉलिहाउस एवं ग्रीननेट शेड पर कार्यशाला 31	
13) काराबोह ग्राम समिति-छिन्दवाड़ा 32	
14) भोपाल वन वृत्त में उत्कृष्ट कार्य वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत/सम्मानित का संक्षिप्त विवरण 37	
15) 73 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वन कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण 39	
16) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री जे.के. मोहन्ती जी द्वारा वृक्षारोपण 40	
17) सीताफल- परियट नर्सरी जबलपुर 41	
18) मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम एक नजर में 42	
19) ईको पर्यटन केन्द्र माड़ा 49	
20) अखबारों के आईने से 53	
21) भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति 54 एवं सेवानिवृत्ति (जुलाई-सितंबर) 2019 सूची	
22) हमने बीता कल देखा है.....! 55	



► 28

## संपादकीय

प्रस्तुत अंक जुलाई-सितंबर वन विभाग म.प्र. की विशेष उपलब्धियों के लिये याद किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर म.प्र. को टाइगर स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और इससे सम्बन्धित गतिविधियों को दर्शाया गया है। मध्यप्रदेश के लिये ये गौरव की बात है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विषय जैसे संकटापन्न प्रजातियों की पहचान एवं पौध तैयारी, नदी तटीय प्रबंधन, मियावाँकी पद्धति जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी विषय भी इस अंक में शामिल किये गये हैं। आशा है कि आप इस अंक को पढ़कर आनन्दित होंगे।

डॉ. पी.सी. दुबे



# International Tiger Day 2019

**"International Tiger Day"** (also known as Global/World Tiger Day) is celebrated every year on 29th July to raise awareness for tiger conservation. The goal of observance of the day is to promote the protection and expansion of the wild tiger's habitats and to gain support through awareness for tiger conservation.

Every year, "Madhya Pradesh Tiger Foundation Society" (MPTFS) actively organizes various awareness programs on occasion of this important day. This year, we are planning to organize various events on the day. They are-

## 1. Photography Exhibition

The photography exhibition is titled as "Kingdom of Tigers". The ideology behind the title is to signify the presence of this magnificent umbrella species under whose umbrella, the whole wildlife is safe and flourishing. In this competition, we selectively requested a few famous wildlife photographers to share photos of tigers under different themes based on the behavior and life of tigers.

**The exhibition was inaugurated by Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh.**

## 2. Documentary Making Competition

Titled as "**Hidden Wilderness of Madhya Pradesh**"- It aims to explore the beauty and USP of lesser known sanctuaries and to aware common public about their presence through documentaries to increase tourism. In the competition, wildlife photographers were allowed to shoot for 2 days in Kheoni Sanctuary/ Ratapani Sanctuary/Narsinghgarh Sanctuary/Nauradehi Sanctuary/Rani Durgavati Sanctuary.

**The prizes were distributed by Honorable Forest Minister and the winning documentary was launched in the event.**

Winner documentary by- Mr. Himanshu Yadav

## 3. Bagh Banayein Bagh Bachayein campaign

Madhya Pradesh Tiger Foundation Society organized a campaign named "Bagh Banayein Bagh Bachayein" for the celebration of International Tiger Day 2019. In the campaign, a giant painting of tiger is created with the support of approx. 30000 people from across Madhya Pradesh.

**Ideology**- The painting was created by approx. 30000 people symbolically signifying that contribution of all the sections of society such as senior citizens, school children, youths, government officials, private organizations, NGOs etc. is important for the conservation of tigers in Madhya Pradesh. The campaign also sensitized the common public on the wildlife conservation related issues.

**Specifications**- The painting is of 11 m X 7 m size. Painting was cut into 96 panels of size 3 ft X 3 ft each. Panels were sent to different parts of Madhya Pradesh among the common public and they helped in painting by pasting stamps in the panels. Stamps

were created in the designs of different animals and they signify how all the species are safe and flourishing under the umbrella of Tiger.

**The painting is installed at the Indore airport, Madhya Pradesh and it was inaugurated by Honorable Chief Minister.**

#### **4. BaghonkiKahaniMunnakiZubani**

A small booklet named "BaghonkiKahaniMunnakiZubani" was launched by Honorable Chief Minister. The booklet is designed to sensitize school children about the life and behavior of tigers and to incept the idea of wildlife conservation in them.

#### **5. Logo of Sanjay Tiger Reserve**

The logo of Sanjay Tiger Reserve was launched by Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh. The logo was designed under a competition organized by MPTFS and Mr. Deepak Ganguly won the competition.

### **अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस**

**29 जुलाई 2019 (मिन्टो हॉल भोपाल)**

माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. श्री कमल नाथ जी, वन मंत्री श्री उमंग सिंघार जी,  
मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती, एवं वन बल प्रमुख प्र.मु.व.सं श्री जे.के. मोहन्ती



© सुधीर मिश्रा





सुधीर मिश्रा

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मिन्टो हॉल में लगाई गई प्रदर्शनी की झलक



# STATUS OF TIGERS IN INDIA – 2018

## RESULTS

The fourth cycle of National tiger status assessment of 2018-19 is the most accurate survey conducted. The survey covered 381,400 km<sup>2</sup> of forested habitats in 20 tiger occupied states of India. A foot survey of 522,996 km was done for carnivore signs and prey abundance estimation. In these forests, 317,958 habitat plots were sampled for vegetation, human impacts and prey dung. Camera traps were deployed at 26,838 locations. These cameras resulted in 34,858.623 photographs of wildlife of which 76,651 were of tigers and 51,777 were of leopards. The total area sampled by camera traps was 121,337 km<sup>2</sup>. The total effort invested in the survey was 593,882 man-days. We believe that this is the world's largest effort invested in any wildlife survey till date, on all of the above criteria.

A total of 2,461 individual tigers (>1 year of age) were proto-captured. The overall tiger population in India was estimated at 2,967 (SE range 2,603 to 3,346) (Table 1, Fig.7-11). Out of this, 83% were actually cameral trapped individual tigers and 87% were accounted for by camera trap based capture-mark-recapture and remaining 13% estimated through covariate based models (Fig. 5). Tigers were observed to be increasing at a rate of 6% per annum in India when consistently sampled areas were compared from 2006 to 2018 (Fig. 6). Tiger occupancy was found to be stable at 88,985 km<sup>2</sup> the country scale since 2014 (88,558 km<sup>2</sup>). Though there were losses and gains at individual landscapes and state scales. The occupancy reported in this report is based on latest forest cover by Forest Survey of India (2017) and therefore cannot be compared with earlier occupied areas which were computed from earlier forest cover data. To make the comparison on the same scale we have recomputed tiger occupied forests for the 2014 cycle on the forest cover of 2017 (Table 2). Reduction in occupied areas was due to a) not finding evidence of tiger presence in sampled forests (20% actual loss), and b) not sampling forests that had tiger presence in 2014 (8%). New areas that were colonized by tigers in 2018 constituted 25,709 (28%) km<sup>2</sup>. This analysis suggests that loss and gain of tiger occupancy was mostly from habitat pockets that support low density populations. Such habitats with low density tigers, though contributing minimally to overall tiger numbers, are crucial links for gene flow and maintaining connectivity between source populations. The loss and gain of tiger occupancy in these marginal areas is a dynamic process and depends on several factors like proximity of a tiger source population, anthropogenic pressure operating in the landscape, associated change in habitat conditions and protection regime. Tiger occupancy has increased in the State of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Loss in North East is due to poor sampling. Madhya Pradesh has also registered a substantial increase in their tiger population and along with Karnataka ranks highest in tiger numbers. The poor and continuing decline in tiger status in the states of Chhattisgarh and Odisha is a matter of concern.

---

**2,967**

Total tiger population  
estimated: (2,603-3,346)

**2,461**

Total number of individual  
tigers camera trapped

**2,591**

Tiger population estimated  
through Capture-mark-  
recapture

<b>Central Indian Landscape and Eastern Ghats</b>				
Andhra Pradesh	95 (84-107)	72 (65-79)	68 (58-78)	48 (40-56)##
Telangana	-	-	-	26 (23-30)##
Chhattisgarh	26 (23-28)	26 (24-27)	46 (39-53)*	19 (18-21)
Jharkhand		10 (6-14)	3*	5
Madhya Pradesh	300 (236-364)	257 (213-301)	308 (264-352)*	526 (441-621)
Maharashtra	103 (76-131)	168 (155-183)	190 (163-217)*	312 (270-354)
Odisha	45 (37-53)	32 (20-44)	28(24-32)*	28 (26-30)
Rajasthan	32 (30-35)	36 (35-37)	45 (39-51)	69 (62-76)
Central India & Eastern States	601 (486-718)	601(518-685)	688 (596-780)	1,033 (885-1,193)
<b>Western Ghats Landscape</b>				
Goa	-	-	-5*	3
Karnataka	290 (241-399)	300 (280-320)	406 (360-452)	524 (475-573)
Kerala	46 (39-53)	71 (67-75)	136 (119-150)	190 (166-215)
Tamil Nadu	76 (56-95)	163 (53-173)	229 (201-253)	264(227-302)
Western Ghats	402 (336-487)	534 (500-568)	776 (685-861)	981 (871-1,093)
<b>North East Hills and Brahmaputra Plans Landscape</b>				
Arunachal Pradesh	14 (12-18)		28*	29*
Assam	70 (60-80)	143 (113-173)	167 (150-184)	190 (165-215)
Mizoram	6 (4-8)	5	3*	0
Nagaland	-	-	-	0
Northern West Bengal	10 (8-12)	-	3*	0
North East Hills and Brahmaputra	100 (84-118)	148 (118-178)	201(174-212)	219 (194-244)
<b>Sundar bans</b>		70(62-96)	76(62-96)	88(86-90)
<b>Total</b>	<b>1,411</b> (1,165-1,657)	<b>1,706</b> (1,507-1,896)	<b>2,226</b> (1,945-2,491)	<b>2,967</b> (2,603-3,346)

\* Estimated through Sact DNA

# For comparison with previous estimates of Andhra Pradesh, combine Andhra Pradesh and Telengana population estimate of current year.

# टिश्यू कल्चर तकनीक द्वारा सागौन पौधा तैयारी

(टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, इंदौर)

## टिश्यू कल्चर द्वारा सागौन पौधा तैयारी

वर्तमान समय में वन क्षेत्रों पर अत्यधिक जैविक दबाव के कारण वनों की उत्पादकता कम हो रही है तथा स्थल गुणवत्ता भी घटने लगी है जिसका प्रभाव वनों में मौजूद वृक्षों पर स्पष्ट दिखाई देता है- यही स्थिति सागौन प्रजाति में भी उत्पन्न हो रही है अतः यह आवश्यक है कि वनों से उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का चयन कर टिश्यू कल्चर तकनीक से पौधे तैयार किये जाये जिससे कि भविष्य हेतु अनुवांशिक रूप से एवं उत्पादन के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ वृक्ष तैयार किये जा सकें।

अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त इंदौर द्वारा इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पहल करते हुए सागौन प्रजातियों के टिश्यू कल्चर पौधे तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। टिश्यू कल्चर द्वारा सागौन पौधा तैयारी से पूर्व यहां के अधिकारियों एवं शोध कार्यकर्ताओं द्वारा कोयम्बटूर स्थित Institute of Forest Genetics and Tree Breeding संस्थान में जाकर सागौन प्रजाति के टिश्यू कल्चर कार्य का अध्ययन किया है साथ ही राज्य वन अनुसंधान संस्थान के (SFRI) वैज्ञानिकों के निर्देशन में कार्य प्रारम्भ किया गया है- उक्त कार्य 3PHASE में किया जा रहा है :-

### PHASE - I :- उत्कृष्ट वृक्षों का चयन :

राज्य वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में वनमण्डल देवास के पुंजापुरा रेंज में कक्ष क्र. 572, 488, 528 जो पूर्व से SP-क्षेत्र के रूप में चिह्नित हैं-से उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का चयन किया गया- इन चयनित वृक्षों की उत्कृष्टता के पैमाने अर्थात् सीधा तना, कम शाखा, बीमारी एवं गांठ रहित के आधार पर बारीकी से अध्ययन करने पर टिश्यू कल्चर कार्य के लिए निम्नानुसार वृक्षों की प्रस्तावित धन वृक्षों (Plus tree) के रूप में चयन किया गया-

### रातातलयी

क्र.	Plus Tree no.	वृक्ष की गोलाई	वृक्ष की ऊंचाई	वृक्ष की GPS Reading
1.	DEW/PUN/572-573/211/A	72 cm.	28 meter	N 22°30,27.4 E 76°17,10.1
2.	DEW/PUN/572-573/247/A	79 cm.	28 meter	N 22°30,27.4 E 76°17,11.5
3.	DEW/PUN/572-573/283/A	79 cm.	26 meter	N 22°30,31.8 E 76°17,0.85
4.	DEW/PUN/572-573/305/A	78 cm.	28 meter	N 22°30,32.0 E 76°17,11.5

### जोशीबाबा

क्र.	Plus Tree no.	वृक्ष की गोलाई	वृक्ष की ऊंचाई	वृक्ष की GPS Reading
1.	DEW/PUN/488/144/A	77 cm.	27 meter	N 22°29,009 E 76°19,41.4

### PHASE - II :-

देवास स्थित SPA क्षेत्रों से सागौन के धन वृक्षों का चयन कर चयनित धन वृक्षों से वानस्पतिक स्रोत की प्राप्ति एवं उससे टिश्यू कल्चर कार्य हेतु vegetative part तैयार करना, चयनित धन वृक्षों से टिश्यू कल्चर कार्य हेतु शाखायें प्राप्त करने से एक दिन पूर्व शाखाओं पर 1 प्रतिशत बावेसटिन से छिड़काव किया गया जिससे कि

फंगस संक्रमण से बचाव हो सके। दिनांक 12.02.2019 को प्रातः धन वृक्षों से 10-15 से.मी. मोटी तथा 1फिट लम्बी शाखाओं को सावधानीपूर्वक काट कर गीले कपड़े में लपेट कर लाया गया तथा प्रयोगशाला के पास बनाये गये मिस्टर चेम्बर में रखे पॉलीप्रोपोलेटर जिसमें नीचे 5-6 इंच तक रेत बिछाकर पानी से पूर्णतया भिगोया गया है उसमें वृक्षवार अलग-अलग जमीन के समानान्तर रेत में लगभग 1 से.मी. अंदर गाड़ दिया गया। प्रत्येक दो दिन में मिस्टिंग सिस्टम द्वारा पानी की उपलब्धता बनाये रखी व प्रक्रिया के दौरान तापमान 25-35 सेल्सियस व आर्द्रता 95% से 100% रही। लगभग 1 सप्ताह बाद अंकुरण प्राप्त होने लगा तथा तीस दिन बाद गाढ़ी हुई शाखाओं से निकली नई शाखायें दो से तीन नोड की हो गयी जो अब टिश्यू कल्चर कार्य हेतु उपलब्ध थीं।



एक्स-विट्रो रूटिंग में हमने 2000-12000 पीपीएम NAA, IBA के सोल्युशन में 10-30 मिनट तक के प्रयोग लगाए। प्रयोग के लगभग 15-20 दिनों पश्चात 3000 से 8000 ppm NAA, UBA रूट इंडक्शन दिखा तथा 40-50 वें दिन रूट का इलोगेशन दिखाई दिया। 60-70 दिनों के पश्चात पौधों को पाली बैग में शिफ्ट कर दिया गया।



स्प्राउट्स का उत्पन्न होना

स्प्राउट्स का उत्पन्न होना



रूटिंग हार्मोन ट्रीटमेंट



रूट इन्डक्शन



रूट इंलोगेशन



पौधा तैयार



### PHASE - III :-

प्रयोगशाला में सागौन पौधों को टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार करना जनवरी 2019 में अनुसन्धान एवं विस्तार वृत्त इंदौर लैब में सागौन के प्लस ट्री पर प्लांट टिश्यू कल्चर का कार्य आरम्भ किये गये। 5 जनवरी 2019 को देवास के पुंजा पुरा एस.पी.ए. क्षेत्र क्र. 572-576 जंगलों में उपस्थित सागौन के एक्सिलरी बड (3-4 से.मी.) को एक्सप्लांट (मातृ पेड़ से लिया गया भाग) के तौर पर लिया गया तथा उसी दिन लैब में लाकर उन्हें ग्रोथ माध्यम से लगाया गया 3-4 दिनों

बाकल्वर्स में फंगस एवं बैकटीरिया का संदूषण (कंटामिनेशन) दिखाई दी। दिनांक 05.02.2019 को वन अनुसंधान केन्द्र की टीम दो दिवस की ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रियूट ऑफ फारेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग (आई.एस.जी.टी.बी.) कोयम्बटूर तमिलनाडु का भ्रमण किया गया। वहां टिश्यू कल्वर टेक्निक द्वारा सागौन के प्लांट तैयार किये जा रहे हैं। वहां वरिष्ठ वैज्ञानिकों की निगरानी में सागौन के प्लांट टिश्यू कल्वर के प्रयोगों के बारे में बताया गया तथा स्वयं प्रयोग भी कराये गए।

04.07.2019 को आई.एफ.जी.टी. कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों द्वारा इंदौर स्थित लैब विजिट की गयी उन्हें समस्या से अवगत कराया गया। विशेषज्ञ दल द्वारा पुंजापुरा एस-पी-ए- क्षेत्र क्र.-572-573 के वनक्षेत्र में धन वृक्षों से एक्सप्लांट चयन किये गये एवं दूसरे दिन उन्होंने स्वयं एक्सप्लांट वाशिंग की ओर इनोक्यूलेशन किया तथा बताया कि अलग-अलग स्थान तथा वातावरण की वजह से हर प्लांट का अपना अपना नेचर होता है तथा उसी के अनुसार उनकी ग्रोथ होती है। एक्सप्लांट इनोक्यूलेशन के 4,7 दिनों के पश्चात शूट पहले कि तरह ब्राउन तथा कंटामिनेटेड पाई गयी। वैज्ञानिकों से दूरभाष पर संपर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि अलग-अलग प्रकार के काम्बिनेशन तैयार कर प्रयास करते रहे।

निरंतर प्रयोग जारी रखने पर तथा कई अलग-अलग काम्बीनेशन जैसे- IAA, NAA, BAP, KN आदि को बनाकर उनको स्वयं के कोड द्वारा प्रदर्शित किया गया। A1-A5, B1-B2 कोड के काम्बिनेशन बनाये गये। तथा उनमें इन-विट्रो इनोक्यूलेशन किया गया एवं स्टेरीलाइजेशन की प्रक्रिया में बेक्टिरियल कंटामिनेशन देर करने के लिये केनामाईसिन का प्रयोग करने पर इनोक्यूलेशन से लगभग 17-20 दिनों तक कुछ एक्सप्लांट असंक्रामक एवं हरे दिखाई दिए। A1, A2, B1, B3 में रिजल्ट पाजिटिव प्राप्त हुए तथा शूट निकलती हुई एवं पत्तियां भी निकलती दिखाई दी। इस प्रकार टिश्यू कल्वर विधि से सागौन पौध तैयारी में सफलता प्राप्त हुई। उम्मीद की जाती है कि शीघ्र सागौन के टिश्यू कल्वर के पौधे तैयार कर विभाग एवं ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाएगा।



सागौन टिश्यू कल्वर के पौध

## दम्पति वन महोत्सव, 25 सितम्बर 2019



**भोपाल, 25 सितंबर।** माननीय वन मंत्री उमंग सिंधार जी दम्पति महोत्सव अवसर पर उद्बोधन दिया गया तथा बताया गया कि विभाग की सीटी फारेस्ट योजना राजधानीवासियों के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। कटारा हिल्स लहारपुर के एकोलॉजिकल पार्क में माननीय मंत्री जी सहित वन विभाग के अधिकारियों और दंपतियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया।

दम्पति महोत्सव के तहत माननीय वन मंत्री उमंग सिंधार जी ने विधिवत पूजा अर्चना कर पौधा रोपण कर पार्क में आए दंपतियों से चर्चा कर अपने घरों के आसपास पौधा रोपण कर पर्यावरण को होने वाले नुकसान से वनों को बचाने पर जोर देते हुए कहा कि यहां लगी औषधि के पौधे आसाध्य बीमारियों से आमजनों को राहत पहुंचाने का कार्य करेंगे। वन विभाग के पीसीसीएफ श्री जेके मोहंती, श्री राजेश श्रीवास्तव, श्री एबी गुप्ता, श्री यू. प्रकाशम, एपीसीसीएफ श्री अतुल श्रीवास्तव, श्री पी.सी. दुबे, सीसीएफ डॉ. एसपी तिवारी, सीएफ श्री एचएस मिश्रा, एसडीओ श्री सुनील भारद्वाज, श्री एसएस भदौरिया, श्री अशोक झवर, श्री एन.एस. चौहान, श्री सुनील वर्मा, श्री आरके चतुर्वेदी सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि 1 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सीटी फारेस्ट योजना में केंद्र सरकार ने 60 और राज्य सरकार ने 40 प्रतिशत अंशदान देकर प्रदूषण से भोपाल वासियों को बचाने की योजना धरातल पर उतारी है, जिसका परिणाम सुबह-शाम दूर दराज से आ रहे भ्रमण करने वाले लोगों को देखकर लगाया जा सकता है। 100 हेक्टेयर में तैयार हुई सीटी फारेस्ट योजना विभिन्न प्रजाति के लाखों पेड़ लगाए गए हैं, जो तीव्रता से वृद्धि कर रहे हैं। यहां रोपे गए पौधों का घनत्व तेजी से बढ़ रहा है।



राष्ट्रीय वन शहीद दिवस – 11 सितम्बर, 2019

## शहीद वनकर्मियों के परिवारों का सम्मान

रक्तदान शिविर में अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा रक्तदान

**भोपाल : 11 सितम्बर, 2019।** राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर वन विश्राम गृह स्थित बहुउद्देशीय हाल में दस शहीद वनकर्मियों के परिवारों का श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मान किया गया। सादगीपूर्ण आयोजित कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव, वन श्री ए.पी. श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह अवसर है कि शहीद वनकर्मियों के बलिदान से हम सभी प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि भोपाल शहर में स्थित क्षेत्र पर शहीद वन विकसित किया जाना चाहिए, ताकि जनसाधारण वनकर्मियों के बलिदान से परिचित होकर वनों के संरक्षण में वनकर्मियों का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि राज्य शासन शहीद वनकर्मियों के परिवारों को समुचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री जे.के. मोहंती ने कहा कि आज यह एक भावुक अवसर है, जब हम सभी शहीद वनकर्मियों के परिवारों का सम्मान कर रहे हैं। श्री मोहंती ने बताया कि निर्माणाधीन नवीन वन भवन में वन शहीदों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वनकर्मियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है ताकि वे अपने शासकीय कार्यों को सुगमता से कर सकें।

इस अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर शहीद वनकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई तथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीद वनकर्मी स्व. श्री प्रताप सिंह वनरक्षक सीहोर की पत्नी श्रीमती दक्षणा बाई, स्व. श्री रामनारायण वैद्य वनरक्षक सागर की पत्नी श्रीमती आशा वैद्य, स्व. श्री राकेश शांडिल्य वनपाल सागर की पत्नी श्रीमती सरोज शांडिल्य, स्व. श्री लक्ष्मीनारायण सेन वनरक्षक सीहोर के पुत्र श्री कमल सेन, स्व. श्री प्रह्लाद जाटव वनरक्षक सीहोर के पत्र श्री राजेश जाटव, स्व. श्री बट्टूलाल वनरक्षक सीहोर की पुत्री श्रीमती रेखा वर्मा, स्व. श्री रघुनंदन लाल यादव वनरक्षक सीहोर के पुत्र श्री राजूशील यादव, स्व. श्री वीरहनुमंत सिंह वनरक्षक रायसेन की पत्नी श्रीमती राधाबाई, स्व. श्री कोमल सिंह राजपूत वनरक्षक सागर के पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह तथा स्व. श्री शरन सिंह गौर वनपाल सागर की पत्नी श्रीमती कृष्णा गौर को सम्मानित किया गया।

### शहीद वनकर्मियों के परिवारों का सम्मान



# मध्यप्रदेश की दुर्लभ संकटापन्न वृक्ष प्रजातियाँ

## 1. संक्षिप्त विवरण -

विश्व में पौधों की लगभग 3,74,000 प्रजातियाँ पायी जाती हैं। जिसमें लगभग 2,95,383 पुष्टीय पौधों की प्रजातियाँ शामिल हैं। वन सम्पदा की दृष्टि से भारत एक संपन्न देश है। उपलब्ध आकड़ों के अनुसार पादप विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में दसवां और एशिया में चौथा स्थान है। पर्यावरण सूचना तंत्र (ENVIS) द्वारा प्राप्त आकड़ों के अनुसार भारत में पुष्पहीन तथा पुष्टीय पौधों की लगभग 48,655 प्रजातियाँ पायी जाती हैं। इसमें पुष्टीय पौधों की 18,259 प्रजातियाँ कृषि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण एवं प्राकृतिक आवास में कमी के कारण इनकी उपलब्धता में लगातार गिरावट पाई जा रही है।

मध्यप्रदेश का कुल वन आवरण सेटेलाइट डाटा अक्टूबर-जनवरी 2015-16 FSI report 2017 के आधार पर 77,474 वर्ग किमी. है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.11% है। कुल रिकार्ड वन आवरण का 6,149 वर्ग किमी. अति सघन श्रेणी (very dense) 30,426 वर्ग किमी. मध्यम घना (moderately dense) तथा 27,800 वर्ग किमी. खुला वन (open forest) श्रेणी का है। राज्य में रिकार्ड कुल वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किमी. है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72 प्रतिशत है। कुल आरक्षित वन 36%, संरक्षित वन 32.84% तथा अवर्गीकृत वन 1.80% है। रिकार्ड वन आवरण क्षेत्र के बाहर वन आवरण 12,935 वर्ग किमी. है। इस प्रकार वन आवरण 77,414 वर्ग किमी. है तथा वृक्ष आवरण 8073 वर्ग किमी. है तथा कुल वन आवरण 85,487 वर्ग किमी. है। कुल कार्बन स्टॉक 696 मिलियन टन (2551 मिलियन टन CO<sub>2</sub> समतुल्य) जो कि देश के कुल वन कार्बन का 9.82% है।

प्रदेश में विभिन्न जैविक एवं अजैविक कारणों से विगत 50 से 60 वर्षों में कई वृक्ष प्रजातियों की उपलब्धता में कमी आई है। वर्तमान समय में जो प्रजातियाँ दुर्लभ एवं संकटापन्न हैं तथा जिनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है, इनके संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता को देखते हुये इस दिशा में आवश्यक है कि इनकी पहचान की जाए, इनकी वर्तमान स्थिति, उपयोगिता के विषय में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे, रोपणियों में इन्हें तैयार किया जाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल किया जावे, जहाँ-जहाँ ये प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, इन्हें सुरक्षा दी जावे। इन प्रजातियों की प्राकृतिक क्षेत्र में उपलब्धता की खोज की जावे, इन प्रजातियों के प्राकृतिक आवास क्षेत्रों की भी पहचान की जावे जहाँ पूर्व में इन प्रजातियों की उपस्थिति पाई जाती थी। वर्तमान में उपलब्ध इन प्रजातियों के वृक्षों को बीज स्रोत के रूप में चिन्हित कर सुरक्षा दी जावे।

## 2. संकटापन्न एवं दुर्लभ प्रजातियाँ -

संकटापन्न प्रजातियों से आशय उन प्रजातियों से है जिनकी संख्या, फैलाव, पुनरुत्पादन से स्थापित नये पौध, बीज उत्पादक मध्यम आयु वर्ग के वृक्ष की उपलब्धता में धीरे-धीरे विभिन्न कारणों से प्राकृतिक वन में कमी हुई है। दुर्लभ प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो स्वभाव से ही विभिन्न कारणों से दुर्लभ हैं साथ ही दुर्लभ प्रजातियाँ भी संकटापन्न की स्थिति में आ सकती हैं।

## 3. महत्व -

इन प्रजातियों को संरक्षित किया जाना वनों की स्वस्थता, पर्यावरणीय कारणों, जैव विविधता वन्य प्राणियों हेतु आवश्यक होने के साथ ही आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी स्थानीय परिवेश में इनका महत्व है। पारम्परिक चिकित्सा पद्धति, पक्षियों एवं स्थानीय मवेशियों, वनवासियों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिये भी इनकी उपयोगिता एवं आवश्यकता है।

जैव विविधता प्रकृति का मूल स्वभाव है। भाँति-भाँति के जीव-जंतुओं और वन-वनस्पतियों से भरपूर मध्यप्रदेश का यह वैभव विस्मयकारी है। विभिन्न प्रजातियों के बीच पारस्परिक अनन्य संबंध एवं निर्भरता आधारित रचना प्रकृति का मूल आधार है। वानस्पतिक विविधता में कमी का प्रभाव वनों की स्वस्थता, वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य एवं संख्या पर भी पड़ता है। जैव विविधता का स्थानीय पारिस्थितिकीय तन्त्र से सीधा एवं गहरा संबंध है। सुदृढ़ जैव विविधता एक सुदृढ़

परिस्थितिकीय तंत्र की स्थापना में आवश्यक जैवीय अवयव है।

वनस्पतियाँ एक समूह में प्राकृतिक रूप से विभिन्न अनुपात एवं विभिन्न स्तरों पर वनों में वितरित एवं स्थित रहती हैं तथा आपस में एक दूसरे को सकारात्मक तथा नकारात्मक, दोनों रूपों में प्रभावित करती हैं। वानस्पतिक विविधता का स्थान विशेष की मिट्टी, शैल, जल, भू-आकृति, वर्षा, जीव जन्तुओं के बीच सीधा सम्बन्ध है। अतः प्रजातियों की विविधता परिस्थितिकीय तन्त्र को सुदृढ़, सन्तुलित बनाये रखने हेतु आवश्यक है।

#### 4. अध्ययन हेतु रणनीति -

आज से 50 से 60 वर्ष पूर्व की स्थिति में प्रजातियों का कोई आंकलन इस दृष्टिकोण से उपलब्ध नहीं है कि इनकी कितनी मात्रात्मक एवं संख्यात्मक रूप से उपलब्धता वन क्षेत्र में थी, जिस कारण से इस प्रकार का अध्ययन एवं उन पर निष्कर्ष प्राप्त करना वर्तमान स्थिति में प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। उक्त अध्ययन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक एवं सरल पद्धति विकसित की गई। अतः स्थानीय लोगों के अनुभव, विशेष रूप से जो वन से सीधे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विगत कई दशकों से, कई पीढ़ियों से जुड़े हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी को विशेष महत्व दिया गया है। स्थानीय बाजार में इनकी उपलब्धता एवं समय के साथ उसमें हुए बदलाव का अध्ययन भी आवश्यक सूचना के रूप में शामिल किया गया है। उक्त विषय पर साथ ही समय-समय पर विभिन्न कार्य आयोजनाओं में एवं समय-समय पर हुए शोध परिणामों से भी प्राप्त सूचनाओं का भी उपयोग किया गया है। कुछ चयनित जैव विविधता युक्त क्षेत्रों का भ्रमण कर इनकी उपस्थिति एवं उपलब्धता पर गहन अध्ययन भी कराया गया।

अतः एक मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर अध्ययन कार्य किया गया परन्तु अध्ययन के विषय को सरल एवं व्यवहारिक तरीके से सीमित समय में अन्य विभागीय कार्यों के साथ किये जाने का प्रयास किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार प्रजातियों के श्रेणीकरण हेतु गाइडलाइन तैयार की गयी है, के दिशा-निर्देशों का अनुशरण किये जाने का प्रयास किया गया है। परन्तु सीमित समय एवं विभिन्न संसाधनों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता में कमी के कारण एक मोटे तौर पर संरक्षण प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकताओं, जीवकोपार्जन की पूर्ति एवं जैव विविधता में आ रहे बदलाव के अध्ययन हेतु प्रजातियों की संकटापन्नता को दर्शाये जाने हेतु एक सूची तैयार की गई है। वर्तमान अध्ययन में प्रमुख रूप से प्रजातियों की उपलब्धता में कमी, उनके फैलाव, बीज उत्पादन हेतु उपयुक्त वृक्षों की संख्या, पुर्नरूपत्पादन को विशेष रूप से ध्यान में रखकर अध्ययन किया गया है।

संकटापन्न वृक्ष प्रजातियों की वन क्षेत्र में हुई कमी के आधार पर तथा उन पर आसन्न खतरे एवं भविष्य में उन पर पड़ने वाले जैविक एवं अजैविक दबाव मौसम परिवर्तन आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखकर इनके संवर्धन एवं संरक्षण को प्राथमिकता दिये जाने के उद्देश्य से इन्हें निम्न श्रेणियों में रखा गया है। वन क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न वानस्पतिक प्रजातियों का प्रस्तुत श्रेणीकरण एक अनुमानित आंकलन है, जिसमें प्रजातियों की संकटापन्नता की श्रेणीकरण में अंतर हो सकता है। वानस्पतिक प्रजातियों की संकटापन्नता की स्थिति में यह अन्तर इनके अध्ययन के विस्तार क्षेत्र एवं तकनीकों एवं विषय की विशेषज्ञता में निपुणता के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। साथ ही इस प्रकार के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य लगातार कम हो रही वृक्ष प्रजातियों को संरक्षण प्राथमिकता निर्धारण से है, जिससे समय रहते इन्हें संकटापन्न स्थिति से बाहर लाया जा सके एवं खतरे के नजदीक स्थित प्रजातियों को संकटापन्न होने से बचाया जा सके।

#### 5. अध्ययन परिणाम

श्रेणीकरण	स्थानीय संकटापन्न स्थिति	संख्या
अत्यधिक खतरे में	70-80 प्रतिशत की कमी	2
खतरे में	50-70 प्रतिशत की कमी	4
संवेदनशील	30-50 प्रतिशत की कमी	8
खतरे के नजदीक	10 प्रतिशत तक कमी	18
	योग	32

अध्ययन के आधार पर लगभग 216 के आसपास वृक्ष प्रजातियों में से 14 वृक्ष प्रजातियाँ खतरे की विभिन्न श्रेणियों में पाई गई। इनमें 2 प्रजातियाँ अत्याधिक खतरे में, 4 प्रजातियाँ खतरे में, 8 प्रजातियाँ संवेदनशील एवं खतरे के नजदीक श्रेणी में कुल 18 वृक्ष प्रजातियाँ शामिल। इसमें से कुछ प्रजातियाँ जो अत्याधिक उपयोग एवं अन्य संभावित कारणों से आगामी 15-20 वर्षों में खतरे की श्रेणी में जा सकती हैं।

## 6. उपाय -

आज मानव की बढ़ती आवश्यकताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता एवं कई प्राकृतिक कारणों से पौधों की विविधता में तेजी के साथ क्षरण हो रहा है। जरूरत है क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाकर पुनः इन्हें स्थापित किया जाय, पुनः वनों में नई स्फूर्ति पैदा कर वनों को स्वस्थ किया जाय। संरक्षण के दृष्टिकोण से इन वनस्पतियों को संकट के आधार पर संरक्षण प्राथमिकता हेतु ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि 14 प्रजातियाँ संकटापन्न की स्थिति में हैं एवं 18 प्रजातियाँ संकटापन्न होने की ओर बढ़ रही हैं।

हम सभी जानते हैं कि प्रजातियों की उपलब्धता में कमी, क्षेत्रीय फैलाव एवं बिखराव में कमी, प्रजनन योग्य वृक्षों की संख्या में कमी, परागण के प्रमुख कारकों की कमी, बीजों का प्रकीर्णन एवं अंकुरण में कमी, नये पौधे की चराई, वृक्षों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को प्रभावित करने के कारण स्थानीय ही होते हैं, इसलिये इनका हल भी स्थानीय परिस्थितियों में ही खोजना पड़ेगा।

संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु जन जागरण, इन प्रजातियों की पहचान, इनके बीजों का संरक्षण, बीज से पौधे तैयार करना एवं रोपण तथा पौधों को सुरक्षा देना, इन प्रजातियों के उपलब्ध वृक्षों को सुरक्षित रखना, इनके रहवास प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना, जल संरक्षण एवं संचयन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

कई प्रजातियों पर अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। इस हेतु पर्याप्त सूचनायें एकत्रित किया जाना होगा। दुर्लभ श्रेणी के अन्तर्गत 23 प्रजातियाँ रखी गयी हैं। इसके अतिरिक्त और भी प्रजातियाँ दुर्लभ स्तर की हो सकती हैं, जिस पर और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।

## 7. सारांश -

आइये हम सब मिलकर संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करें, जिससे वन, परिस्थितिकीय सेवायें एवं विभिन्न जैविक क्रियाएं प्रभावी ढंग से प्रकृति में निष्पादित हो सकें एवं वन तथा वन वासियों का अटूट रिश्ता प्रकृति में बना रहे।

(डॉ. पी.सी. दुबे)

भा.व.से.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी  
मध्यप्रदेश भोपाल

S. No.	वनस्पतिक नाम (Botanical Name)	स्थानीय नाम (Local Name)	कुल (Family)
<b>क्षेत्रीय संकटापन्न वृक्ष प्रजातियाँ [(REGIONALLY THREATENED TREE SPECIES) (30)]</b>			
<b>अत्याधिक खतरे में [(Critically Endangered) (3)]</b>			
1	Dillenia pentagyna Roxb.	कर्कट, शल्यकर्णी	Dilleniaceae
2	Litsea glutinosa (Lour.) Robinson	मेदा	Lauraceae
<b>खतरे में [(Endangered) (4)]</b>			
1	Cordia macleodii (Griff.) Hook.f. & Thomson	दहिमन	Boraginaceae
2	Oroxylum indicum (L.) Venten	सोनपाठा	Boraginaceae
3	Radermachera xylocarpa (Roxb.) K. Schum.	गरुड़ वृक्ष	Boraginaceae
4	Symplocos racemosa Roxb.	लोध	Symplocaceae
<b>संवेदनशील [(Vulnerable) (8)]</b>			
1	Careya arborea Roxb.	कुंभी	Lecythidaceae
2	Cochlospermum religiosum (L.) Alston	गबदी	Cochlospermaceae
3	Dalbergia latifolia Roxb.	शीशम	Fabaceae
4	Garuga pinnata Roxb.	केंकड	Burseraceae
5	Pterocarpus marsupium Roxb.	बीजा	Fabaceae
6	Stereospermum chelonoides (L.f.) DC.	पाडर (अर्धकपारी)	Bignoniaceae
7	Sterculia urens Roxb.	कुल्लू	Sterculiaceae
8	Soymida febrifuga (Roxb.) A. Juss.	रोहिना	Meliaceae
<b>खतरे के नजदीक [(Near Threatened) (17)]</b>			
1	Anogeissus latifolia(Roxb.ex DC) Wall.ex Bedd.	धवा	Rubiaceae
2	Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.	सलई	Burseraceae
3	Buchanania cochinchinensis (Lour.) M.R. Almeida	अचार (चिरौजी)	Anacardiaceae
4	Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirveng.	खरहर	Rubiaceae
5	Dolichandrone falcata (Wall. ex DC.) Seem.	तमोली (मेढ़ा)	Bignoniaceae
6	Erythrina suberosa Roxb.	गधा पलाश (हड्डुआ)	Fabaceae
7	Grewia tiliifolia Vahl	धनकट (धामिन)	Tiliaceae
8	Strychnos potatorum L.f.	निर्मली (जहरमोहरा)	Loganiaceae
9	Hardwickia binata Roxb.	अंजन	Caesalpiniaceae
10	Schrebera swietenioides Roxb.	मोखा	Oleaceae
11	Desmodium oojeinense (Roxb.) H.Ohashi	तिन्सा	Fabaceae
12	Wendlandia heynei (R. & S.) Sant. & Merch.	तिलवन	Rubiaceae
13	Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre	भेड़ार, वेड़ार	Rubiaceae

S. No.	वनस्पतिक नाम (Botanical Name)	स्थानीय नाम (Local Name)	कुल (Family)
14	Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd.	हल्दू	Rubiaceae
15	Schleichera oleosa(Lour.) Merr.	कुसुम	Sapindacceae
16	Semecarpus anacardium L. f.	भिलमा	Anacardiaceae
17	Spondias pinnata (L. f.) Kurz	खटाम्बा	Anacardiaceae

### दुर्लभ [RARE] (12)]

1	Ficus amplissima Sm. (Indore)	बड़ प्रजाति	Moraceae
2	Ficus beddomei King (Mandla)	बड़ प्रजाति	Moraceae
3	Ficus caulocarpa (Miq.) Miq.	बड़ प्रजाति	Moraceae
4	Ficus drupaceaThunb. (Sagour)	बड़ प्रजाति	Moraceae
5	Ficus exasperataVahl (Alirapur)	बड़ प्रजाति	Moraceae
6	Ficus lanceolataBuch.-Ham. ex Roxb.	बड़ प्रजाति	Moraceae
7	Ficus talbotiKing (Jhabua)	बड़ प्रजाति	Moraceae
8	Firmiana colorata(Roxb.) R.Br.	कुवारिन	Sterculiaceae
9	Sterculia villosaRoxb. ex Sm.	उदाल	Sterculiaceae
10	Stereospermum tetragonum DC.	छोटा पाडर	Bignoniaceae
11	Strychnosnux-vomica L.	कुचला	Loganiaceae
12	Ficuscupulata Haines (Hoshangabad, Pachmarhi)	बड़ प्रजाति	Moraceae

### स्थानीय (सीमित क्षेत्रीय) [ENDEMNIC TREE] (1)]

S. No.	वनस्पतिक नाम (Botanical Name)	स्थानीय नाम (Local Name)	कुल (Family)
1	Ficus Cupulata Haines (Hoshangabad, Pachmari)	बड़ प्रजाति	Moraceae



# TREES HAVING DIFFERENT VALUES

S.No.	वानस्पतिक नाम (BotanicalName)
<b>1) TIMBER VALUE (5)</b>	
1	<i>Pterocarpus marsupium</i> Roxb.
2	<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.
3	<i>Grewia tiliifolia</i> Vahl
4	<i>Haldina cordifolia</i> (Roxb.) Ridsd.
5	<i>Ougeinia oojeinensis</i> (Roxby) Hochr.
<b>2) MEDICINAL VALUE (7)</b>	
6	<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) Robinson
7	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Venten.
8	<i>Symploco racemosa</i> Roxb.
9	<i>Stereospermum chelonoides</i> (L.f.) DC.
10	<i>Strychnos potatorum</i> L. f.
11	<i>Semecarpus anacardium</i> L. f.
12	<i>Terminalia chebula</i> Retz.
<b>3) GUM VALUE (4)</b>	
13	<i>Cochlospermum eligiosum</i> (L.) Alston
14	<i>Sterculia urens</i> Roxb.
15	<i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bedd.
16	<i>Boswellia serrata</i> Roxb.
<b>4) FODDER (3)</b>	
17	<i>Garuga pinnata</i> Roxb.
18	<i>Dolichandrone falcata</i> (Wall. ex DC.) Seem.
19	<i>Hardwickia binata</i> Roxb.

S.No.	वानस्पतिक नाम (BotanicalName)
<b>5) FRUIT (1)</b>	
20	Buchanania lanza Spreng.
<b>6) PLANT OF LOCAL BELIEVES (10)</b>	
21	Cordia macleodii (Griff.) Hook. f. & Thomson
22	Dillenia pentagyna Roxb.
23	Radermachera xylocarpa (Roxb.) K. Schum
24	Careya arborea Roxb.
25	Soymida febrifuga (Roxb.) A. Juss.
26	Schrebera swietenioides Roxb.
27	Wendlandia heynei (R. & S.) Sant. & Merch.
28	Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabberley
<b>7) MULTIPLE VALUE (7)</b>	
29	Cordia macleodii (Griff.) Hook. f. & Thomson
30	Pterocarpus marsupium Roxb.
31	Dalbergia latifolia Roxb.
32	Anogeissus latifolia (Roxb. ex DC.) Wall. ex Bedd.
33	Grewia liifolia Vahl
34	Hardwickia binata Roxb.
35	Ougeinia oojeinensis (Roxb.) Hochr.

माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन श्री कमल नाथ जी, माननीय वन मंत्री श्री उमंग सिंधार जी  
तथा कैबिनेट के सहयोगी मंत्री की उपस्थिति में

## संकटापन्न (RET) प्रजाति के वृक्षों का रोपण दिनांक **27/09/2019 (वल्लभ भवन प्रांगण भोपाल)**

मध्यप्रदेश के वन क्षेत्र में पाई जाने वाली संकटापन्न एवं दुर्लभ प्रजातियों का रोपण



# मियॉवाकी पद्धति से स्थानीय प्रजातियों के प्राकृतिक वन की स्थापना

प्राकृतिक रूप से हजारों वर्षों के विकास क्रम में स्थल विशेष की परिस्थितिकीय में स्थित रहे वानस्पतिक विविधता युक्त वन को पुनः स्थापित करना एक चुनौती है साथ ही आवश्यकता भी है। विविधता एवम् स्थायित्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं एवम् सुदृढ़ तन्त्रों की स्थापना करते हैं। ऐसे “सुदृढ़ तन्त्र” आज शहरों, कर्बों की नितान्त आवश्यकता बन चुके हैं जहाँ मानव प्रसन्नता के साथ स्वच्छ एवम् स्वस्थ वातावरण में वानस्पतिक एवम् जीवजंतुओं की विविधता में रह सकेगा। इन्हें पुनः स्थापित किये जाने हेतु सूक्ष्म रूप से अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु जापानी वैज्ञानिक द्वारा कई प्रयास किये गये एवम् उनका यह प्रयोग व्यापक स्तर पर सफल रहा। आइये इस विधि एवम् इसके महत्व को समझने का प्रयास करते हैं।

जापानी बॉटनिस्ट अकीरा मियॉवाकी द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार हरियाली, मनोरंजन एवं फलोत्पाद के स्रोत के लिये वन की स्थापना के स्थान पर स्थानीय प्राकृतिक वन जो पूर्व में इस क्षेत्र में रहे हैं, उन्हें पुनर्स्थापित किया जाता है, जिसमें वृक्ष प्रजाति, झाड़ी एवं शाकीय प्रजाति के पौधे साथ-साथ प्राकृतिक रूप से वृद्धि करते हैं, एवं स्थानीय वनस्पति जैवविविधता के स्रोत के रूप में स्थापित होते हैं।

## मियॉवाकी पद्धति का वैज्ञानिक आधार :-

प्रकृति में अलग-अलग स्वभाव के पौधे अपने स्वभाव के अनुरूप एक ही स्थल विशेष में Spatial distribution में स्थित होते हैं। कुछ प्रजातियां Dominant, एवं Codominant कुछ Suppressed रूप में प्रकाश एवं मृदा की आवश्यकता के अनुरूप स्थित रहते हैं। अर्थात् प्रजातियाँ अपने Ecological niche में स्वभाव के अनुरूप सह अस्तित्व में रहती हैं एवं उनके मध्य प्रतिस्पर्धा नहीं रहती या न्यूनतम होती है। कई बार ये प्रजातियां एक दूसरे को सहयोगी की भूमिका भी निभाती हैं। इन प्रजातियों की जड़ भी जमीन के अंदर अलग-अलग स्तरों में स्थित रहती है। जिसके कारण इनमें पोषक तत्व, जल के प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं होती। आसपास सहयोगी के रूप में स्थित होने के कारण एवं एक-दूसरे से नैसर्गिक गुणों के कारण अलग-अलग प्रकार के सूक्ष्म तत्वों को मृदा से अवशोषित करते हैं, तथा ये तत्व पौधे के जीवन चक्र में पौधों के विभिन्न भागों में स्थित रहते हैं। समय के साथ पत्तियों एवं पौधों के अवशेषों के जमीन पर गिरने, सड़ने से भांति-भांति के पोषक तत्व पुनः मृदा के ऊपरी सतह में वापस आ जाते हैं। ये पोषक तत्व समूह में आने वाले परस्पर सहयोगी वृक्षों को उपलब्ध हो जाते हैं। अलग-अलग वानस्पतिक प्रजातियों के सहयोगी की जीवाणु, कवक भी होते हैं जो पौधे विशेष को एवं समूह में सहयोगी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से मियॉवाकी पद्धति वास्तव में नैसर्गिक रूप से पृथ्वी पर एक लम्बे समय के पश्चात विभिन्न जैविक-अजैविक प्रक्रियाओं एवं पारिस्थितिकी के कारण पूर्व में स्थापित रहे वृक्षों के समूह को स्थापित करने की एक विधि है।

## पद्धति के मुख्य बिन्दु :-

1. सघन वृक्षारोपण :- एक वर्गमीटर क्षेत्र में 2 से 3 पौधे रोपित किये जा सकते हैं। पास-पास एवम् प्रकृति में स्वभावतः एक साथ रहने वाली प्रजाति को लगाये जाने से परस्परिक सम्बंधों के कारण पौधों में तेजी से वृद्धि होत है।
2. प्रजातियों का चयन :- रोपण क्षेत्र में 50 से 100 वर्ष पूर्व प्राकृतिक रूप से पायी जाने वाली अधिक से अधिक स्थानीय प्रजातियों का चयन किया जाता है। प्रजातियों के चयन हेतु क्षेत्र में 50 से 100 कि.मी. के दायरे में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले वृक्षों/पौधों की जानकारी संकलित की जाती है। क्षेत्र से संबंधित अभिलेख जैसे कार्य आयोजना, बुर्जुगों से प्राप्त जानकारी, साहित्य में वर्णित प्रजातियों यदा-कदा दिखाई देने वाली प्रजातियां या स्थलविशेष की मृदा, भू-आकृति, जलवायु, वर्षा के अनुरूप क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों का चयन किया जाता है।

## **प्रक्रिया :-**

- 1 स्थल चयन एवं मृदा का परीक्षण
- 2 प्राकृतिक रूप से चयनित क्षेत्र एवं मृदा के अनुरूप एवं उसके आसपास 50 से 100 वर्ष पूर्व पाये जाने वाले अधिक से अधिक वृक्षों एवं पौधों को सूचीबद्ध करना।
- 3 चयनित प्रजातियों के स्थानीय वृक्षों से बीज संग्रहण, रोपणी में पौधे तैयार करना।

## **4 स्थल तैयारी :-**

- (क) स्थल में 1-1/2 से 2 फिट गहराई में जुताई करना, मिट्टी को बारीक करना, क्षेत्र को उसी मिट्टी से आधा भर देना।
- (ख) शेष बची मिट्टी में जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, कोकोपिट मिलाकर पुनः क्षेत्र को समतल करना।
- (ग) मृदा उपचार हेतु जुलाई पश्चात् 15-20 दिनों तक सूर्य की किरणों द्वारा उपचार

## **5 रोपण:-**

- (1) स्थल पर रोपण के पूर्व 1 से 2 वर्गमीटर क्षेत्र में सहजीवी Dominant, Codominant, Suppressed वृक्ष, झाड़ी एवं शाकीय लताएं प्रजाति के पौधों को एक से दो सप्ताह तक रखना जिससे पौधे वातावरण के अनुकूल हो जायें।
- (2) अनुकूलन अवधि के पश्चात् क्षेत्र में Dominant, Codominant, Suppressed वृक्ष, झाड़ी एवं शाकीय लताएं प्रजाति के पौधों का रोपण।
- (3) जिस प्रकार प्राकृतिक वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों तथा विभिन्न स्तर के वृक्ष एवं पौधे पाये जाते हैं उसी प्रकार बिना किसी निश्चित क्रम के भिन्न-भिन्न स्तर एवं प्रजातियों के पौधे लगाना।
- (4) रोपण हेतु पौधों के अनुकूलन के पश्चात् पॉलिथीन बैग के आकार के अनुसार गड्ढे करते हुए पौधे रोपित करना एवं आसपास की मिट्टी को हाथों से दबाना।
- (5) दो से तीन वर्ष तक पौधों का रख रखाव किया जावे।
- (6) रोपण क्षेत्र में किसी बीमारी या कीट के कारण पौधों के मरने पर किसी तरह रासायनिक खाद, कीटनाशक अथवा दवा का उपयोग नहीं किया जावेगा। प्राकृतिक चयन के अनुसार क्षेत्र में पौधों की वृद्धि होगी। जैविक खाद एवम् जैविक कीटनाशक का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
- (7) क्षेत्र में स्वतः गिरने वाली पत्तियों को नहीं हटाया जावेगा।
- (8) किसी भी प्रकार की शाखा कटाई या वृक्ष कटाई नहीं की जावेगी।

## **उपयोगिता :-**

बहुस्तरीय रोपण के कारण अलग-अलग स्तरों पर वृक्षों के स्थित होने के कारण पत्तियों की संख्या एवम् उनका कुल क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जावेगा जिससे की ऑक्सीजन की मात्रा एवम् वर्षोत्सर्जन के कारण वातावरण में नमी भी कई गुना बढ़ेगी साथ ही भाँति-भाँति के फूल एवम् फल अलग-अलग ऋतु में प्राप्त होंगे जिसके परिणामस्वरूप पक्षियों, मधुमक्खियों को वर्ष भर भोजन उपलब्ध हो सकेगा। भाँति-भाँति के वृक्ष होने से कुछ वृक्षों की पत्तियों गिरेंगी तो कुछ वृक्षों में नई-नई पत्तियां आती रहेंगी।

- 1 वर्तमान समय में शहरी क्षेत्र, कस्बों में वनीकरण के लिये बड़ा Land scape उपलब्ध होना मुश्किल कार्य है परन्तु मियाँवाकी पद्धति द्वारा छोटे-छोटे प्राकृतिक वनों को स्थापित कर प्रति वर्गमीटर क्षेत्र में Leaf Surface area कई गुना बढ़ाया जा सकता है, जिससे वायुमण्डल में ऑक्सीजन एवं नमी की मात्रा बढ़ेगी

तथा पर्यावरण संतुलन स्थापित होगा, साथ ही जैवविविधता बनाये रखने, पशु पक्षियों हेतु आश्रय एवं भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

- 2 रिक्त स्थान पर प्राकृतिक जंगल स्वतः स्थापित होने में लगने वाले समय की तुलना में मियावॉकी पद्धति से बहुत कम समय में प्राकृतिक जंगल स्थापित किया जा सकता है।
- 3 प्राकृतिक जंगल के सिद्धांत, स्पर्धा, प्राकृतिक चयन एवं वृक्षों का सह अस्तित्व के अनुरूप जंगल स्थापित होता है।
- 4 शहरी क्षेत्र एवं औद्योगिक संरचनाओं में उपलब्ध सीमित स्थान पर सघन प्राकृतिक वन क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र में पत्तियों की मात्रा बढ़ती है जोकि वातावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन-डाय-ऑक्साइड के संतुलन पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक है।
- 5 वनस्पतियों की बहुस्तरीय संरचना के कारण पूरे आकाशीय फैलाव का उपयोग होने के कारण  $O_2$  का अवशोषण भी ज्यादा मात्रा में होगा जिससे कार्बन संचयन भी बढ़ेगा।
- 6 वनस्पति के विविधता के परिणामस्वरूप अलग-अलग ऋतुओं में भाँति-भाँति के पुष्प एवम् फल आयेंगे, जिससे जीवजन्तुओं की विविधता भी बढ़ेगी।



मियावॉकी पद्धति से वन स्थापना (अहमदपुर रोपणी, भोपाल)

# नदी तटीय क्षेत्र प्रबंधन एवं पुनः स्थापना (Riparian Zone Management and Restoration)

नदी तटीय क्षेत्र का प्रबंधन एवं पुनः स्थापना पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राइपरियन (नदी तटीय क्षेत्र) जोन का प्रभाव नदी के किनारे की स्थिरता, जल की शुद्धता बनाये रखने में, मिट्टी कटाव रोकने, जल पुनर्भरण, जीव-जन्तुओं हेतु सूक्ष्म रहवास, जैव विविधता संरक्षण, जल धाराओं की सुरक्षा, सतत् प्रवाह बनाये रखने, जलीय ताप नियंत्रण, बाढ़ के प्रभाव को कम करने, खाद्य जाल को बनाये रखने आदि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का संपादन करता है।

नदी तटीय क्षेत्र के प्रबंधन हेतु तटीय क्षेत्र में वानस्पतिक आवरण एवं छोटी-छोटी जल संरक्षण संरचनाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। नदी तटीय क्षेत्र में हरित आवरण की, छोटी-छोटी जल धाराओं तथा जल धाराओं की लम्बाई में सतत् रूप से ऊपरी सिरे से नीचे की ओर सतत् प्रभाव हेतु इनके संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में सतत् प्रयास की आवश्यकता है।

हरित पटिका की चौड़ाई कितनी हो यह इस बात पर निर्भर करती है कि किन उद्देश्यों के लिये प्रबंधन किया जाता है। सामान्य रूप से 50-100 मीटर की हरित पटिका पर्याप्त होती है। परन्तु व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर यह चौड़ाई 1 कि.मी. रखने पर व्यापक रूप से सकारात्मक प्रभाव नदी तटीय क्षेत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय पर पड़ता है।

## संक्षिप्त विवरण

नर्मदा मध्य एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अनूपपुर जिले के  $22^{\circ}40'$  उत्तर अक्षांश एवं  $81^{\circ}46'$  पूर्व देशान्तर, समुद्रतल से 1057 मीटर ऊंचाई से प्रवाहित होती है। नदी का अन्तिम छोर गुजरात राज्य के भरुच  $21^{\circ}43'$  उत्तर अक्षांश और  $72^{\circ}57'$  पूर्व देशान्तर पर अरब सागर में समाहित हो जाती है।

मध्यप्रदेश में नदी की कुल लम्बाई 1124 कि.मी. है जोकि नदी के कुल लम्बाई का 84.36 प्रतिशत है। नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 98796 वर्ग कि.मी. है, जिसमें 87513.50 वर्ग कि.मी. (88.58 प्रतिशत) मध्यप्रदेश में स्थित है। शेष क्षेत्र गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।

बेसिन क्षेत्र में 24 जिले एवं 29 वनमण्डल स्थित हैं। म. प्र. में कुल भौगोलिक 59235 वर्ग कि.मी. में 43082 वर्ग कि.मी. आरक्षित, तथा 15651 वर्ग कि.मी. सरक्षित एवं 503 वर्ग कि.मी. अवर्गीकृत वनक्षेत्र हैं। बेसिन क्षेत्र में स्थित कुल 102820 वर्ग कि.मी. वन तथा नदी के दोनों ओर 1-1 कि.मी. में 1.30 लाख हेक्टेयर के आस-पास वन क्षेत्र स्थित हैं।

## नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियाँ

नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं। अधिकांश सहायक नदियों का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 500 किलोमीटर है। 22 सहायक नदियाँ नर्मदा नदी के बाईं तरफ स्थित हैं तथा 19 सहायक नदियाँ नर्मदा नदी के दाईं तरफ स्थित हैं। सभी सहायक नदियों की कुल लम्बाई 8773 किलोमीटर है। अन्य छोटी-छोटी नदियाँ जो नर्मदा में जुड़ती हैं, उनकी संख्या 50 हैं।

## नर्मदा नदी तट का संभागवार, जिलेवार एवं वन मण्डलवार विवरण

क्रं.	संभाग का नाम	जिलों की संख्या	वनमण्डलों की संख्या	सम्मिलित वनकक्षों की संख्या	कक्षों का क्षेत्रफल
1	इन्दौर	5	6	264	60274.43
2	उज्जैन	1	1	30	8856.28
3	भोपाल	2	3	6	1555.94
4	जबलपुर	5	6	328	51614.54
5	नर्मदपुरम्	1	2	14	4987.78
6	शहडोल	1	1	12	2654.57
7	सागर	1	1	1	428.92
		<b>16</b>	<b>20</b>	<b>655</b>	<b>130372.46</b>

## नर्मदा नदी तट के दोनों ओर 1-1 कि.मी. में स्थित वनक्षेत्र का विवरण (हेक्टेयर में)

सघनवन	54041.04
विरलवन	34933.89
नदी तटीय क्षेत्र	5144.48
अतिक्रमण	4151.09
अन्य	32101.95
योग	<b>130372.45</b>
नर्मदा नदीतट के दोनों ओर 1-1 कि.मी. में स्थित राजस्व/कृषि क्षेत्र	<b>175056.77</b>
नर्मदा नदीतट के दोनों ओर 1-1 कि.मी. में स्थित ग्रामों की संख्या	<b>691</b>
अमरकंटक से अलीराजपुर जिले तक नर्मदानदी की कुल लंबाई कि.मी. में	1124
नदी के दोनों ओर 1-1 कि.मी. की बफर का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	305429.22
नदी के दोनों ओर 1-1 कि.मी. की सीमा में आने वाले वन क्षेत्र का एरिया	130372.45
नदी के दोनों ओर 1-1 कि.मी. की सीमा में आने वाले राजस्व, कृषि एवं अन्य क्षेत्र (हेक्टेयर में)	175056.77
नदी के दोनों किनारों के ओर स्थित जिलों की संख्या	16
नदी के दोनों ओर वन मण्डलों की संख्या	20

## रणनीति

नर्मदा नदी जलग्रहण क्षेत्र के प्रबंधन हेतु नदी तटीय वर्णों का संरक्षण, जन-भागीदारी, गैर वन भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहन, जलीय जीव-जन्तुओं, पादपों का शोध, पूर्व निर्मित जल संरचनाओं की सुरक्षा एवं अतिक्रमण से मुक्ति, नदी तट के दोनों ओर 1-1 कि.मी. दूरी तक निजी एवं राजस्व क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं वन क्षेत्रों में कटाई पर रोक, 200 मीटर दूरी तक स्थानीय घास प्रजातियों का रोपण, प्रमुख सहायक नदियों एवं उनसे बह रहे जल की गुणवत्ता पर अध्ययन, वनस्पति से जुड़े जीविकोपार्जन, उत्खनन पर नियन्त्रण एवं वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग पर अध्ययन एवं प्रबंधन करना।

## सम्मिलित क्षेत्र

नर्मदा नदी के दोनों तटों से 1-1 कि.मी., सहायक नदियों के दोनों ओर 20 मीटर, जल उद्धम क्षेत्र से सतत प्रवाहशील क्षेत्र के दोनों ओर स्थित 10 मीटर एवं नदियों के उद्धम स्थल से चारों ओर 100 मीटर लगे वन क्षेत्र को शामिल किया गया है। राजस्व/निजी क्षेत्र हेतु विविध विनियमन के अंतर्गत प्रबंधन प्रस्तावित किये गये हैं।

## नदी तटीय क्षेत्र

यह क्षेत्र नदी से समीपस्थ स्थित वह संक्रमण क्षेत्र है, जो नदी की तटीय लम्बाई भाग एवं समीपस्थ भूमि के बीच स्थित अंतरापृष्ठ भाग होता है।

प्रबंधन हेतु इस क्षेत्र की चौड़ाई कई बिन्दुओं पर निर्भर होती है। जैसे : भूमि का ढलान, भूमि में जल रिसाव क्षमता, प्रबंधन का उद्देश्य, जैवविविधता, वन्य प्राणी कॉरिडोर, जल गुणवत्ता, विभिन्न पारिस्थितिकीय संबंधी विषय, स्थलाकृति, भौगोलिक स्थिति, भूमि जल की स्थिति, मृदागर्थन आदि।

## नदी तटीय वन बफर का स्वरूप एवं उपचार

वन बफरपट्टी क्षेत्र की अग्नि, चराई, अतिक्रमण और अवैध कटाई से पूरी सुरक्षा की जाएगी तथा पुनरुत्पादन सुनिश्चित करते हुए नदी के किनारे घास तथा वृक्षारोपण द्वारा सघन वनस्पति आवरण युक्त बहु-स्तरीय फाइटोसोसियोलोजिकल एसोसिएट्स के रूप में हरित पट्टी स्थापित करने की दृष्टि से क्षेत्र का प्रबंधन किया जाएगा।

## वन बफर

इसके अंतर्गत क्षेत्र को जोनवार संवेदनशीलता, भू-आकृति, ढलान, जल रिसाव, मिट्टी का प्रकार, वन्यजीव एवं अन्य बिन्दुओं के आधार पर तीन जोन विभाजित किया जाकर जोनवार पृथक-पृथक उपचार किये जायेंगे :-

## जोनवार विशिष्ट उपचार

### (अ) जोन 1 :-रक्षित क्षेत्र- अतिसंवेदनशील क्षेत्र जोन की चौड़ाई 50 मीटर तक रहेगी

जलधारा के तट से लगा हुआ कगार का भाग। इसमें मौजूद वृक्ष, झाड़ियों तथा घास की जड़ें मिट्टी को बाँध कर रखती हैं और बहते पानी के कारण होने वाले मिट्टी के क्षरण पर रोक लगाती हैं। कगार पर मौजूद वृक्षों व अन्य वनस्पतियों का सघन आवरण जलधारा के ताप को भी घटाता है जिससे सूक्ष्म जीवों व जलीय प्राणियों का जीवन चक्र भी प्रभावित होता है।

क्षेत्र में सघन वन 2मी. X 2 मी. स्थापित किया जावेगा एवं क्षेत्र हेतु चयनित प्रजातियों का सघन रोपण किया जावेगा। आवश्यकतानुसार जल संरक्षण की संरचनायें निर्मित की जावेंगी।

### (ब) जोन 2 :-संवेदनशील क्षेत्र - जोन की चौड़ाई लगभग 100 मीटर रहेगी :-

नदी कगार पर मौजूद जोन 1 तथा जोन 3 के मध्य स्थित भाग जो वृक्षों और झाड़ियों आदि से युक्त होता है, को

जोन 2 में रखा गया है। क्षेत्र में वृक्षारोपण (5मी. × 5मी.) बाँस, घास तथा झाड़ियों का रोपण किया जावेगा तथा जल संरक्षण हेतु छोटी-छोटी संरचनायें निर्मित की जावेगी।

#### (स) जोन 3 :-सामान्य क्षेत्र –जोन की चौड़ाई लगभग 850 मीटर तक रहेगी

यह क्षेत्र नदी के कगार जोन 1 तथा उससे लगे हुए जोन 2 के बाहर की ओर, तीसरा जोन है। इस जोन 10मी. × 10मी. में सामान्य तथा वृक्षारोपण किया जावेगा। घास तथा झाड़ियों की सहायता से अवसाद के कर्णों और विशाक्त रासायनिक पदार्थों को रोकने में सक्षम पट्टी विकसित और संधारित की जाती है। जल संरक्षण हेतु तालाब, तलैया, डबरा-डबरी निर्मित की जावेगी।

कार्यवृत्त में सम्मिलित वन क्षेत्र का उपचार वर्गों में विभाजन

निम्नानुसार उपचार वर्ग में विभाजित कर उपचार वर्ग के प्रावधान अनुसार क्षेत्र को उपचारित किया जावेगा।

#### 1. रक्षित क्षेत्र

इसमें 300 से अधिक ढलान वाले क्षेत्र, खुल चट्टानों वाले क्षेत्र को शामिल किया गया है।

#### 2. निम्न संनिधि एवं रिक्त वन क्षेत्र

##### जोन- 2-3 में शामिल क्षेत्र

जड़ भण्डार एवं मृदा की गहराई के आधार पर निम्नानुसार क्षेत्र में उपचार प्रस्तावित किये गये हैं :-

**पुनः स्थापना योग्य क्षेत्र** – स्थूलक प्रजातियों (सागौन, धावड़ा, लेण्डिया) के पर्याप्त जड़ भण्डार वाले विरल US2 एवं रिक्त BL2 वन क्षेत्र।

**वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र** – स्थूलक प्रजातियों के अपर्याप्त जड़ भण्डार वाले अच्छी गहरी मृदायुक्त विरल US1 एवं रिक्त BL1 वन क्षेत्र।

**चारागाह विकास योग्य क्षेत्र** – स्थूलक प्रजातियों के अपर्याप्त जड़ भण्डार युक्त कम गहरायी की मृदा वाले चारागाह विकास योग्य विरले US3 एवं रिक्त BL3 वन क्षेत्र।

**पुराने वन वर्धनिक कार्यों के क्षेत्र** – पुराने सफल, असफल वृक्षारोपण एवं विगत कार्य आयोजना अवधि में उपचारित क्षेत्र को सम्मिलित किये जायेंगे।

#### 3. सघन वन क्षेत्र

उपचार वर्ग अ, ब, तथा स में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र इस वर्ग में सम्मिलित रहेगा।

#### 4. निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र में फलदार पौध रोपण को प्राथमिकता दी जावेगी। साथ ही डबरा/डबरी/तलैया निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

#### 5. राजस्व क्षेत्र

राजस्व क्षेत्र में भूमि के स्वरूप एवं आकृति के अनुसार वन क्षेत्र हेतु प्रस्तावित उपचार के अनुरूप कार्य किये जा सकेंगे। प्रमुख रूप से फलदार वृक्ष 10मी. × 10मी. दूरी पर रोपित किये जा सकेंगे।

नर्मदा नदी के किनारे वानिकी प्रबंधन के साथ-साथ अन्य पौध-बीज रोपण एवं प्रबंधन

**विभिन्न प्रकार के बीजों**–वृक्ष, झाड़ी, शाकीय, लता प्रजातियों, वार्षिक एवं बहुवार्षिक प्रजातियों के विषय पर, उनकी सामयिक उपलब्धता, पहचान, अंकुरण हेतु अनुकूल परिस्थितियों एवं डारमेन्सी पीरियड, बीज संग्रहण एवं भण्डारण,

बीजोपचार, बीजरोपण आदि विषयों विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसका उपयोग नर्मदा नदी के तट के दोनों ओर 1-1 कि.मी. की सीमा में स्थित वन क्षेत्र/राजस्व एवं निजी क्षेत्र में क्षेत्र की जलवायु एवं मृदा आवरण अनुसार पौध एवं बीजरोपण कार्य किया जा सकता है।

### नदी किनारे पौधा रोपण तकनीक

नर्मदा नदी के किनारे पौधा रोपण कार्य करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। जिसके अंतर्गत गड्ढों की तैयारी, मिट्टी परीक्षण हेतु मिट्टी का नमूना विधि, जन-भागीदारी से पौधा रोपण, विभिन्न प्रजातियों के बीज संग्रहण व अंकुरण की सारणी की जानकारी दी गई है। नदी किनारे दुर्लभ एवं खतरे में पड़ी, आस्था एवं संस्कृति से जुड़ी एवं फलदार प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

### नर्मदा नदी के किनारे घास रोपण एवं प्रबंधन

चारागाह क्षेत्र की परिस्थितिकीय स्वरस्थता, क्षेत्र की संवहनीय उत्पादकता वहाँ की चराई प्रबन्धन के तरीकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार का चराई प्रबन्धन जो घास के पौध के जैविक आवश्यकताओं के अनुरूप हो अर्थात् चराई अवधि एवं पशुओं की संख्या, घास के पौधों की बढ़त के विभिन्न चरणों के साथ सामन्जस्य में हो तथा जो घास के पौध की वृद्धि एवं परिस्थितिकीय (Ecosystem) संतुलन को बढ़ाने में सहायक हो, को प्रबन्धन में शामिल किया गया है।

घास रोपण एवं प्रबंधन अंतर्गत मृदा उपचार, बीजरोपण, खाद विषय पर विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही घास रोपण हेतु क्षेत्र तैयारी, बीजपौध रोपण, चारा एवं चारागाह क्षेत्र प्रबंधन, चारा कटाई एवं उत्पादन, चारा उत्पादन पश्चात उपचार करने के संबंध में उपचार प्रस्तावित किये गये हैं।

### भू एवं जल संरक्षण संरचनाएँ

वनों को दिये जाने वाले उपचारों में भू एवं जल संरक्षण कार्यों का अत्याधिक महत्व है। उपचारांशों में पर्याप्त भू एवं जल संरक्षण कार्य अन्य उपचारों के परिणामों को भी प्रभावित करते हैं। नदी तटीय क्षेत्रों में भू एवं जल संरक्षण कार्यों को विशेष स्थान दिया गया है। किसी क्षेत्र की भू एवं जल संरक्षण की स्थिति, वनों की स्थिति पर बहुत निर्भर करती है तथा एक दूसरे के पूरक भी हैं। अन्य उपाय एवं सुझाव द्वारा डॉ. पी.सी. दुबे अ.प्र.मु.व.स अनुसंधान विस्तार भोपाल।

### विभिन्न प्रजातियों के प्रदर्शन प्रक्षेत्र





तटीय वृक्षारोपण की एक झलक

## दुर्लभ प्रजाति के कछुये (पातल) का रेस्क्यू

कछुआ प्रजाति (अनुसूची-1 की श्रेणी) का रविवार शाम को उड़नदस्ता भोपाल द्वारा रेस्क्यू किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार शाम 4 बजे उड़नदस्ता प्रभारी आरके चतुर्वेदी को राजेन्द्र वाजपेयी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सर्वधर्म दामखेड़ा में स्थित बस्ती में एक पातल घुस गई है। सूचना प्राप्त होते ही उड़नदस्ता प्रभारी आरके चतुर्वेदी, वाइल्ड लाइफ वार्डन आसिफ हसन, वनरक्षक नागेंद्र मिश्र, स्थाई कर्मी बबलू कटारे, अनवर खान और राधेश्याम शर्मा दामखेड़ा के पास बहती नदी के पास पहुंचे। जहां से पातल को रेस्क्यू किया गया। उड़नदस्ता प्रभारी चतुर्वेदी के अनुसार इस पातल का वजन करीब 80 किलो है जो कि अनुसूची-1 के वन्यप्राणी की श्रेणी में आता है। रेस्क्यू के बाद पातल को वनविहार के एक स्टापडैम में वन विहार परिक्षेत्राधिकारी राकेश वर्मा की निगरानी में छोड़ दिया गया।



## आम्रपाली आम (गोटी बैश कर 50 दिन में रोपण)-रीवा



एयर लेयरिंग



## अहमदपुर नर्सरी में कार्यशाला आयोजन

वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा ड्रिप सिंचाई, पॉलिहाउस एवं ग्रीननेट शेड पर डॉ. रामाराव द्वारा उद्बोधन



# काराबोह ग्राम वन समिति-छिन्दवाड़ा

शिव सिंह उद्देश, आईएफएस  
वनमंडल अधिकारी,  
पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल  
17 अक्टूबर 2019



चित्र-सागौन वृक्षारोपण विरलन के पश्चात (रोपण वर्ष 1998)

काराबोह ग्राम छिन्दवाड़ा जिले के मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर पर स्थित है। दिनांक 13.09.1992 को तत्समय प्रचलित संयुक्त वन प्रबंध हेतु शासन के संकल्प के अनुसार विधिवत आमसभा का आयोजन कर ग्राम वन समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया तथा पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल के छिन्दवाड़ा परिक्षेत्र के अंतर्गत स्थित वन कक्ष क्रमांक पी 1274 एवं आरएफ 1275 का 160.875 हेक्टर क्षेत्र ग्राम वन समिति काराबोह को सौंपा गया। इस क्षेत्र में वन विभाग का काष्ठागार स्थित होने के कारण पूर्व में यह वनक्षेत्र पोआमा डिपो के नाम से जाना जाता था। विभागीय काष्ठागार स्थित होने एवं शहर के नजदीक होने के वजह से जलाऊ लकड़ी आदि के संग्रहण एवं जैविक दबाव के कारण वनक्षेत्र पूर्णतः वृक्ष विहीन हो चुका था। ग्राम वन समिति के गठन के बाद सदस्यों को जागरूक कर वनक्षेत्र की सुरक्षा का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया तथा विभागीय स्तर पर विभिन्न विकास कार्य की परियोजना बनाकर तथा अन्य विभागों से भी सहयोग प्राप्त कर समिति में विभिन्न कार्य का संपादन किया गया जिसके फलस्वरूप धीरे-धीरे ना केवल सम्पूर्ण क्षेत्र वृक्षों से आच्छादित हो चुका है बल्कि वनक्षेत्र से प्राप्त होने वाले उत्पादों का उपयोग करके समिति के सदस्यों के आजीविकाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। समिति के द्वारा किये गये सामाजिक संगठन का प्रभाव जीवन के सभी आयामों पर परिलक्षित हुआ है।

छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय के अत्यंत नज़दीक होने के बावजूद काराबोह ग्राम के विकास का स्तर अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ है। ग्राम की कुल आबादी 1529 एवं परिवार संख्या 307 है, जिनमें से 100 परिवार आदिवासी, 90 परिवार अनुसूचित जाति, 77 परिवार पिछड़ा वर्ग एवं 77 परिवार सामान्य वर्ग के हैं। वर्ग वार जनसंख्या का विवरण तालिका में दिया गया है :-

क्रमांक	वर्ग	परिवार संख्या	जनसंख्या
1.	सामान्य	77	186
2.	आदिवासी	100	603
3.	हरिजन	90	510
4.	पिछड़ा वर्ग	40	230
	योग	307	1529

### वनक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण

ग्राम वन समिति काराबोह को छिन्दवाड़ा वनपरिक्षेत्र की बीट काराबोह के आवंटित कक्ष क्रमांक पी 1274 एवं आरएफ 1275 का 160.875 है। क्षेत्र में से 10 हेक्टर क्षेत्र पर अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त सिवनी की रोपणी संचालित हैं जिसमें समिति सदस्यों एवं आसपास के ग्रामवासी रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। 114.3 हेक्टर वनक्षेत्र में सफल वृक्षारोपण है। समिति द्वारा की गयी सुरक्षा के फलस्वरूप क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगे अनेक स्थानीय प्रजातियों जैसे- महुआ, जामुन, गूलर, धावड़ा, अचार, आंवला, तेन्दू, पलास, लोडिया, नीम, भिरा, आंवला, खैर, अर्जुन, छींद एवं साजा आदि प्रजातियों के वृक्ष स्थापित हो चुके हैं। संपूर्ण क्षेत्र सघन वृक्षारोपण से आच्छादित हो चुका है। वन क्षेत्र में किये गये विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण का संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है-

### ग्राम वन समिति काराबोह में वृक्षारोपण का विवरण

क्र.	वृक्षारोपण योजना	रोपण वर्ष	क्षेत्र हे.	रोपित प्रजाति	संख्या
1.	चारागाह विकास	1994-95	60.0	बांस, सुबबूल	39000
2.	वैकल्पिक वृक्षारोपण	1997-98	7.3	सागौन, खम्मैर, सिसू, करंज, नीलगिरी	10298
3.	सिंचित सघन सागौन	1997-98	10.0	सागौन	42700
4.	उच्च तकनीक असिंचित सागौन रोपण	1997-98	1.0	सागौन	1962
5.	अनुसंधान प्रदर्शन प्रक्षेत्र	1999	5.0	खम्मैर, सिसू, बांस, नीलगिरी, कंटगबांस	2095
6.	उच्च तकनीक सिंचित सागौन रोपण	2000	2.0	सागौन	5168
7.	उच्च तकनीक सिंचित मिश्रित रोपण	2003	1.5	शीशम, क्लोनल नीलगिरी	6958
8.	आंवला रोपण	2004	5.0	आंवला	2000
9.	सागौन रोपण	2006	1.5	सागौन	3750
10.	उच्च तकनीक सिंचित सागौन रोपण	2010	10.0	सागौन	16500
11.	सिंचित औषधि रोपण	2000-01	3.0	नीम, बहेड़ा, करंज, बेल एवं अन्य	7100
12.	समिति की निधि	2015-16	8.0	नीलगिरी, मिश्रित प्रजाति	13500
	योग	114.3			161031

जैविक दबाव के प्रबंधन में ग्राम वन समिति के द्वारा स्थापित व्यवस्था से वृक्षारोपण को अवैध चराई, कटाई एवं अन्नि से लगातार सुरक्षा प्राप्त होती रही, जिसके फलस्वरूप सभी वृक्षारोपण सफल हैं। समिति के प्रयासों से वनक्षेत्र में बल्ली का आकार प्राप्त कर चुके सागौन एवं अन्य प्रजातियों के वृक्ष पूर्णतः सुरक्षित हैं।

# ੬੬

स्थानीय लोगों की आजीविका को केन्द्र में रखकर व्यापक मानवीय कल्याण के लिये इकोसिस्टम सेवाओं का सतत प्रवाह बनाये रखने का अनुपम उदाहरण है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने की दिशा में ग्राम वन समिति काराबोह एवं वन विभाग द्वारा मिलकर किया गया वन प्रबंधन एक अनुकरणीय रास्ता प्रशस्त करता है। ੭੭

-चितरंजन त्यागी

अ.प्र.मु.व.सं.

संयुक्त वन प्रबंधन



चित्र- सागौन वृक्षारोपण ऊपर से नीचे  
मार्च 1998, जुलाई 1998 एवं वर्तमान

मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त वन प्रबंधन हेतु जारी संकल्प 22 अक्टूबर 2001 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम वन समिति को आवंटित वन क्षेत्र के प्रबंधन के लिये तैयार सूक्ष्म प्रबंध योजना को वर्ष 2014-15 में वन मंडल अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। सूक्ष्म प्रबंध योजना के प्रावधानों के अनुसार समिति के क्षेत्र में स्थित नीलगिरी एवं बांस के रोपणों के विदोहन किया गया। विदोहन कार्य समिति द्वारा स्वयं के संसाधनों से सम्पन्न किया गया। पिछले छह वित्तीय वर्षों में सूक्ष्म प्रबंध योजना के प्रावधानों के अंतर्गत, विदोहन पर हुये व्यय को बिना घटाये, समिति को निम्नानुसार धनराशि प्राप्त हुई है : -

### ग्राम वन समिति को विदोहन से प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	विदोहित प्रजाति	प्राप्त आय (रुपये)
1.	2014-15	बांस	240665
2.	2015-16	बांस, नीलगिरी	1897028
3.	2016-17	बांस, नीलगिरी	325220
4.	2017-18	बांस	99000
5.	2018-19	बांस	132000
6.	2019-20 (अनुमानित)	बांस	200000
	योग		<b>2893913</b>

### अन्य गतिविधियाँ :-

- समिति को आवंटित वन क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पलाश एवं कुसुम के वृक्ष उपलब्ध हैं। समिति द्वारा 10 महिलाओं का समूह बनाकर लाख उत्पादन का कार्य प्रारम्भ कराया गया। कई वर्ष तक समूह को अच्छी आय हुई किन्तु विगत तीन वर्षों से लाख की दरों में आई कमी के कारण यह कार्य लाभप्रद नहीं रह गया है।
- समिति के एक महिला स्वसहायता समूह द्वारा वर्ष 2014-15 से जैविक खाद उत्पादन प्रारम्भ किया गया था जिससे समूह को रुपये 192000/- तथा वर्ष 2015-16 में रुपये 75000/- रुपये की आय प्राप्त हुई। बाजार दरों में कमी के कारण व्यवसाय बंद हो चुका है।
- ग्राम वन समिति की 140 महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे तीन वर्ष तक उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है, किन्तु कच्ची अगरबत्ती की बिक्री नहीं हो पाने के कारण फिलहाल कार्य बंद हो गया है।
- वर्ष 2017-18 में समिति को प्राप्त आय से समिति के माध्यम से एक लाख पौधों की रोपणी तैयार की गई है जिससे सदस्यों को रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा स्थानीय कृषकों को पौधे प्रदाय किये जा रहे हैं।
- स्थानीय स्तर पर बांस के उत्पादन को ध्यान में रखकर बांस मिशन के वित्त पोषण काराबोह ग्राम में बांस हस्तशिल्प कला इकाई के अंतर्गत बांस शोरूम, बांस गोदाम एवं बांस बाजार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त निर्माण कार्य हो जाने से समिति क्षेत्र एवं आसपास के युवक-युवतियों को रोजगार प्राप्त होगा। हरे बांस की उपलब्धता को देखते हुये कुछ महिलाओं को बांस की ज्वैलरी बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया है।

6. वर्ष 2016-17 में समिति को प्राप्त आय से कक्ष क्रमांक पी 1274 में 8.00 हेक्टेयर वन क्षेत्र हरियाली महोत्सव में 13000 नीलगिरी एवं 500 मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण कार्य किया गया है।



### **परिणाम एवं निष्कर्ष :-**

ग्राम वन समिति काराबोह ने वन विभाग से बेहतर तालमेल बनाते हुये समिति को आवंटित वन क्षेत्र की पूर्ण निष्ठा से सफल सुरक्षा की है जिसका परिणाम है कि वनविहीन क्षेत्र सघन वन बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। समिति के माध्यम से हुये सामाजिक संगठन से लोगों में नेतृत्व की क्षमता का विकास हुआ है तथा महिलाओं में चेतना आई है एवं उन्हें स्वरोजगार की प्रेरणा मिली है। कौशल उन्नयन का लाभ उठाकर युवा लड़के एवं लड़कियां शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। समुदाय में नवीन कार्यों को हाथ में लेने की क्षमता विकसित हुई है।

समिति एवं वन विभाग से सहकार्य के फलस्वरूप, कठिन परिस्थितियों के बावजूद, समस्त क्षेत्र अच्छे वनों से आच्छादित हुआ है। समिति के लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साधन उपलब्ध हुये हैं तथा ग्राम विकास के लिये निधि की प्राप्ति हुई है। काराबोह समिति स्थानीय लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करते हुये व्यापक मानवीय कल्याण के लिये इकोसिस्टम सेवाओं का सतत प्रवाह बनाये रखने का अनुपम उदाहरण है।

**भोपाल वन वृत्त अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को  
दि. 15/08/2019 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर<sup>1</sup>  
पुरस्कृत/सम्मानित करने हेतु कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण**

**अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल**

1.	श्री हरिशंकर पांडेय उप वन क्षेत्रपाल	2.	श्री अनिल पटेल वन रक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल
3.	श्री सलाउद्दीन अंसारी वन रक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल	4.	श्री आशीष खापरे वन रक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल
5.	श्रीमती स्मिता खरे सहायक वर्ग-2		

**कार्यालय वन संरक्षक कार्य आयोजना भोपाल**

1.	श्री गौरवकुमार शर्मा मानचित्रकार	2.	श्री विकास कुमार मीना जी.आई.एस. आपरेटर
----	----------------------------------	----	--

**सामान्य वन मंडल भोपाल**

1.	श्री उमाशंकर कटरे वनरक्षक	2.	श्री शंकरलाल वन रक्षक उड़नदस्ता भोपाल
3.	श्री नितिन कुमार गुप्ता वनरक्षक	4.	श्री मधु वर्मा स्थायी कर्मी
5.	श्री देवी सिंह वाहन चालक वन वृत्त भोपाल	6.	श्री आसिफ हसन जिला मानसेवी वन्य प्राणी अभिरक्षक जिला भोपाल

**कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी) म.प्र. भोपाल से प्रशंसा पत्र प्रदाय हेतु प्राप्त कर्मचारियों की सूची**


1.	श्री संजय पाठक, सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल	2.	श्रीमती माधुरी वाडिवा, वन क्षेत्रपाल अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल
3.	श्री अनिल कुमार वर्मा वनपाल अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त भोपाल	4.	कु. नीतू कवडे वनरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त ग्वालियर
5.	श्री संजय काले वनपाल अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त इन्दौर	6.	श्री सुनील रजावत वनरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त ग्वालियर
7.	श्री सोमित कुमार बोस, वनपाल अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त जबलपुर	8.	श्री भूरसिंह डोडिया, वनपाल अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त खण्डवा
9.	श्री ऋषिकेश मिश्रा वनरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त सागर	10.	श्री राजेश कुमार मस्कले वनपाल अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त सिवनी
11.	श्री राज कुमार श्रीवास्तव वनरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा	12.	श्री रोहित चौहान वनरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रतलाम
13.	श्री संतोष मुवेल वनरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाबुआ		

**कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन) म.प्र. भोपाल से प्रशंसापत्र प्रदाय हेतु प्राप्त कर्मचारियों की सूची**

1.	श्री शिवशंकर शर्मा वनरक्षक हरदा उत्पादन	2.	श्री सतीश चाकरदे वनरक्षक हरदा उत्पादन
3.	श्री गंगल पाण्डेय वनरक्षक सामान्य वनमंडल होशंगाबाद	4.	श्री अशोक कुमार मेश्राम उप वन क्षेत्रपाल दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट
5.	श्री चौबादा सचौहान उप वन क्षेत्रपाल दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट	6.	श्री हुकुमचंद नेवारे वनपाल दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट
7.	श्री संतोष कुमार पारथी वनपाल दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट	8.	श्री विनीत सिंह वनरक्षक दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट
9.	श्री होशियार सिंह ठाकुर उप वन क्षेत्रपाल उत्पादन वनमंडल डिंडोरी	10.	श्री सरवन सिंह पन्द्राम उप वन क्षेत्रपाल उत्पादन वनमंडल डिंडोरी
11.	श्री राजेश कुमार मिश्रा वनपाल उत्पादन वनमंडल डिंडोरी	12.	श्री दिनेश सिंह धूमकेती वनरक्षक उत्पादन वनमंडल डिंडोरी
13.	श्री सेवक राम कार्तिकेय वनरक्षक उत्पादन वनमंडल मंडला		

**कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्तकता/शिकायत) म.प्र. भोपाल से प्रशंसा पत्र प्रदाय हेतु प्राप्त कर्मचारियों की सूची**

1.	श्री संजय कुमार जैन सहायक वनसंरक्षक (सर्तकता/शिकायत) म.प्र. भोपाल	2.	श्री सुदामा चडोकर अधीक्षक (सर्तकता/शिकायत) म.प्र. भोपाल
3.	श्री गोपाल शरण सक्सैना लेखापाल (सर्तकता/शिकायत) म.प्र. भोपाल	4.	श्री राधेश्याम श्रीवास्तव सहायक वर्ग-2 (सर्तकता/शिकायत) म.प्र. भोपाल
5.	श्री सुंदरलाल विश्वकर्मा स्थायी कर्मी (सर्तकता/शिकायत) म.प्र. भोपाल		



**73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर PCCF (HOFF)  
श्री जे.के. मोहन्ती जी एवं अधिकारीगण  
वन कर्मचारियों को पुरस्कृत करते हुए**



## माननीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री जे.के. मोहन्ती जी द्वारा वृक्षारोपण



## सीताफल- रुट ट्रेनर में पौध तैयारी-परियट नर्सरी जबलपुर



## मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम एक नजर में

1	स्थापना	24 जुलाई, 1975 कम्पनी अधिनियम, 1956 (संशोधित कम्पनी एक्ट 2013) के अंतर्गत पंजीकृत																								
2	अधिकृत अंशपूँजीप्रदत्त अंशपूँजी	रुपये 40 करोड़ रुपये 39.32 करोड़ (म.प्र. शासन 37.93 करोड़ व केन्द्र सरकार 1.39																								
3	मुख्य उद्देश्य	निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा बहुमूल्य वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।																								
4	गतिविधियाँ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● वन विभाग द्वारा हस्तांतरित किये गये वन क्षेत्रों में सागौन का व्यावसायिक रोपण।</li> <li>● विभिन्न संस्थानों जैसे Northern Coalfields Ltd. (NCL), Western Coalfields Ltd. (WCL), National Thermal Power Corporation Ltd. (NTPC), National Highway Authority Of India (NHAI), Railways, (Audyogik Kendra Vikas Nigam) AKVN आदि, द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों में डिपॉजिट मद के अंतर्गत वृक्षारोपण योजनाओं का क्रियान्वयन।</li> <li>● निगम द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के कर पूर्व लाभ के औसत की 2 प्रतिशत राशि से निर्गमित सामाजिक दायित्व के विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन।</li> </ul>																								
5	निगम को हस्तांतरण हेतु आदेशित वन क्षेत्र	4.09 लाख हेक्टेयर																								
6	उपलब्धियाँ :-प्रारंभ से 2018 तक की उपलब्धियाँ-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सागौन का व्यावसायिक वृक्षारोपण का अष्टम चरण पूर्ण। वर्ष 2015 से नवम चरण प्रारंभ।</li> <li>2. सागौन रोपण पद्धति का विकास कर विशेषज्ञता हासिल।</li> <li>3. सागौन रोपण-           <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">अ.</td> <td>वर्षा आधारित (वर्ष 1976 से 2018 तक)</td> <td style="width: 10%;">221917 हे.</td> </tr> <tr> <td>ब.</td> <td>हाई इनपुट (वर्ष 2003 से 2018 तक)</td> <td>1851 हे.</td> </tr> <tr> <td>स.</td> <td>सिंचित (वर्ष 1997 से 2004 तक)</td> <td>533 हे.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>बाँस रोपण (वर्ष 1976 से 2018 तक)</td> <td>23491 हे.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>मिश्रित रोपण (वर्ष 1976 से 2018 तक)</td> <td>3189 हे.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>बिंगड़े वनों का सुधार सह बांस रोपण (वर्ष 1991 से 1996 तक)</td> <td>5167 हे.</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>बिंगड़े बाँस वनों का सुधार (वर्ष 1998 से 2003 तक)</td> <td>13179 हे.</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>12वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सिंचित सागौन रोपण (वर्ष 2006 से 2010 तक)</td> <td>10848 हे.</td> </tr> </table> </li> </ol>	अ.	वर्षा आधारित (वर्ष 1976 से 2018 तक)	221917 हे.	ब.	हाई इनपुट (वर्ष 2003 से 2018 तक)	1851 हे.	स.	सिंचित (वर्ष 1997 से 2004 तक)	533 हे.	4.	बाँस रोपण (वर्ष 1976 से 2018 तक)	23491 हे.	5.	मिश्रित रोपण (वर्ष 1976 से 2018 तक)	3189 हे.	6.	बिंगड़े वनों का सुधार सह बांस रोपण (वर्ष 1991 से 1996 तक)	5167 हे.	7.	बिंगड़े बाँस वनों का सुधार (वर्ष 1998 से 2003 तक)	13179 हे.	8.	12वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सिंचित सागौन रोपण (वर्ष 2006 से 2010 तक)	10848 हे.
अ.	वर्षा आधारित (वर्ष 1976 से 2018 तक)	221917 हे.																								
ब.	हाई इनपुट (वर्ष 2003 से 2018 तक)	1851 हे.																								
स.	सिंचित (वर्ष 1997 से 2004 तक)	533 हे.																								
4.	बाँस रोपण (वर्ष 1976 से 2018 तक)	23491 हे.																								
5.	मिश्रित रोपण (वर्ष 1976 से 2018 तक)	3189 हे.																								
6.	बिंगड़े वनों का सुधार सह बांस रोपण (वर्ष 1991 से 1996 तक)	5167 हे.																								
7.	बिंगड़े बाँस वनों का सुधार (वर्ष 1998 से 2003 तक)	13179 हे.																								
8.	12वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सिंचित सागौन रोपण (वर्ष 2006 से 2010 तक)	10848 हे.																								

		<p>9. 13वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त असिंचिंत सागौन रोपण (वर्ष 2013 से 2014 तक) 2701 है.</p> <p>10. कैम्पा योजना के अंतर्गत असिंचित सागौन रोपण 40 प्रतिशत अनुदान (वर्ष 2011 से 2014 तक) 13241 है.</p> <p>100 प्रतिशत अनुदान (वर्ष 2017) 3382 है.</p> <p>11. उच्च उत्पादकता असिंचित सागौन रोपण (वर्ष 2015 से 2018 तक) 12539 है.</p> <p>12. बांस का अधोरोपण (वर्ष 2018) 4356 है.</p> <p>13. प्रायोगिक क्लोनल नीलगिरी रोपण (वर्ष 2015) 101 है.</p> <p>14. एन.टी.पी.सी. कार्बन सिंक रोपण (वर्ष 2016 से 2018 तक) 933 है.</p> <p>15. डिपाजिट रोपण (निगम भूमि पर) वर्ष 2018 तक 78 है.</p> <p>16. संरक्षण वन/बांस वन उपचारित क्षेत्र 18000 है.</p> <p style="text-align: right;">योग 335506 है.</p> <p>17. डिपाजिट रोपण (पौधा संख्या) (वर्ष 1990 से 2018 तक) 295.41 लाख पौधा</p>																																													
7	वर्ष 2019 की रोपण उपलब्धियाँ	<table> <thead> <tr> <th>क्र.</th><th>योजना</th><th>रोपित क्षेत्र (हे.)</th><th>रोपित पौधा (लाख में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>आर.डी.एफ. कैम्पा योजना</td><td>1378</td><td>20.50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>निगम की योजना में या व्यावसायिक सागौन रोपण योजना</td><td>7452</td><td>131.21</td></tr> <tr> <td>3</td><td>अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र में सागौन रोपण</td><td>340</td><td>7.25</td></tr> <tr> <td>4</td><td>सिंचित सागौन रोपण</td><td>9</td><td>0.15</td></tr> <tr> <td>5</td><td>प्रायोगिक शीशम रोपण निगम अधिपत्य की भूमि पर अन्य संस्थाओं के वित्त से रोपण</td><td>25</td><td>0.12</td></tr> <tr> <td>6</td><td>हावेल्स इण्डिया के वित्त से</td><td>222</td><td>4.00</td></tr> <tr> <td>7</td><td>सामी लैब बैंगलुरु के वित्त से</td><td>12</td><td>0.16</td></tr> <tr> <td>8</td><td>एन.टी.पी.सी. कार्बनसिंक योजना</td><td>246</td><td>1.50</td></tr> <tr> <td>9</td><td>अन्य संस्थानों की भूमि पर डिपॉजिट रोपण— खदानी क्षेत्र, रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग</td><td>-</td><td>8.13</td></tr> <tr> <td></td><td>योग</td><td>9684</td><td>173.02</td></tr> </tbody> </table>	क्र.	योजना	रोपित क्षेत्र (हे.)	रोपित पौधा (लाख में)	1	आर.डी.एफ. कैम्पा योजना	1378	20.50	2	निगम की योजना में या व्यावसायिक सागौन रोपण योजना	7452	131.21	3	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र में सागौन रोपण	340	7.25	4	सिंचित सागौन रोपण	9	0.15	5	प्रायोगिक शीशम रोपण निगम अधिपत्य की भूमि पर अन्य संस्थाओं के वित्त से रोपण	25	0.12	6	हावेल्स इण्डिया के वित्त से	222	4.00	7	सामी लैब बैंगलुरु के वित्त से	12	0.16	8	एन.टी.पी.सी. कार्बनसिंक योजना	246	1.50	9	अन्य संस्थानों की भूमि पर डिपॉजिट रोपण— खदानी क्षेत्र, रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग	-	8.13		योग	9684	173.02	
क्र.	योजना	रोपित क्षेत्र (हे.)	रोपित पौधा (लाख में)																																												
1	आर.डी.एफ. कैम्पा योजना	1378	20.50																																												
2	निगम की योजना में या व्यावसायिक सागौन रोपण योजना	7452	131.21																																												
3	अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र में सागौन रोपण	340	7.25																																												
4	सिंचित सागौन रोपण	9	0.15																																												
5	प्रायोगिक शीशम रोपण निगम अधिपत्य की भूमि पर अन्य संस्थाओं के वित्त से रोपण	25	0.12																																												
6	हावेल्स इण्डिया के वित्त से	222	4.00																																												
7	सामी लैब बैंगलुरु के वित्त से	12	0.16																																												
8	एन.टी.पी.सी. कार्बनसिंक योजना	246	1.50																																												
9	अन्य संस्थानों की भूमि पर डिपॉजिट रोपण— खदानी क्षेत्र, रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग	-	8.13																																												
	योग	9684	173.02																																												

## कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर वर्ष 2020 रोपण हेतु बेलकुण्ड रोपणी में उपलब्ध रूटशूट



## खण्डवा परियोजना मण्डल खण्डवा



परियोजना मण्डल उमरिया, परिक्षेत्र-चंदिया, कक्ष क्रमांक-755  
टी.पी.-2018, आयु-1 वर्ष छायांकन दिनांक 10.09.2019



रीवा-सीधी परियोजना मण्डल सीधी



कुण्डम परियोजना मण्डल जबलपुर



खण्डवा परियोजना मण्डल राजौर टिश्यू कल्चर बांस रोपण 2017



रीवा-सीधी परियोजना मण्डल सीधी वर्ष 2019 में डिपाजिट वर्क रोपण



माइनिंग ओवरबर्डन रोपण, वर्ष 2017 आयु-2 वर्ष



माइनिंग ओवरबर्डन रोपण आयु-5 वर्ष



## ईको पर्यटन केन्द्र माड़ा



सिंगरौली जिला उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा है। यह जिला प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली जिले का निर्माण 24 मई 2008 को सीधी जिले से विभाजित कर किया गया है। इसकी पहचान समूचे भारत देश ऊर्जा राजधानी के रूप में होती है। यहाँ कोयले का अपार भण्डार है तथा पानी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। देश की सबसे बड़ी तापीय परियोजना एन.टी.पी.सी. विन्ध्यनगर यहाँ स्थित है। एन.सी.एल. की दस से अधिक ओपन कास्ट कोल माइन्स हैं तथा अन्य निजी माइन्स हैं। इस जिले में हिन्डालको महान एल्यूमीनियम परियोजना, एस्सार पावर, रिलायंस सासन पावर, जे.पी. पावर सहित कई परियोजनायें संचालित हैं। सिंगरौली जिले के कुल क्षेत्रफल का 39.07 प्रतिशत वन क्षेत्र है। यहाँ सुन्दर जंगल, पहाड़िया, नदियाँ, झरने, गुफाएँ पायी जाती हैं, जो प्रकृति प्रेमियों एवं दर्शनार्थियों का सहज ही मनमोह लेती हैं। जिले में माड़ा स्थित गुफाएं प्राचीनकाल की समृद्धि एवं वस्तुकला का प्रतीक हैं।

### माड़ा गुफाओं की विशेषताएं एवं पुरातात्त्विक महत्व :-

माड़ा की गुफाएं जिला सिंगरौली के परिक्षेत्र माड़ा में स्थित हैं। यहाँ गुप्तकाल में वस्तुकला निर्माण की गतिविधियां देखने को मिली हैं। गुप्तकाल के बाद भी इस क्षेत्र में स्थानीय राजवंशों के द्वारा मंदिर वस्तुकला में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया, जो इस काल की समृद्धि एवं वस्तुकला क्षेत्र में उन्नति को दर्शाता है। श्री जी.डी. बेगलर ब्रिटिश कालीन पुरातत्व विभाग अधिकारी के प्रयासों के कारण भी हम माड़ा गुफाओं के बारे में जानते हैं। बेगलर ने 1875–76 ई. में इस क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने बारादरी माड़ा, रावण माड़ा, हुवरी माड़ा, छेरगुड़ी गुफाएं, कछेरी गुफाएं, आल्हा की जेल, जल जलिया गुफाएं और विवाह माड़ा का दस्तावेजीकरण किया। इन्होंने माड़ा की गुफाओं को 400 ई. से 900 ई. के बीच का दिनांकित किया है, जबकि पुरातात्त्विक विभाग ने गुफाओं को 10000 साल पुराना बताया है।

माईक्रोलिथ की खोज के आधार पर एक विवाह माड़ा में 4 मुख्य गुफाएं और कुछ छोटी गुफाएं नाला के दर्यों ओर पाई जाती हैं। यहाँ पर पहाड़ी को ठीक समतल छतों में काटा गया है। मुख्य गुफाएं काफी बड़ी एवं सावधानीपूर्वक काटी एवं चिकनी की गई हैं, दो गुफाएं बिलकुल समान हैं। जिनमें समान स्तम्भों वाले बरामदा हैं, प्रत्येक बरामदे में स्तम्भों की तीन पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्तियों में 4 स्तम्भ और 2 भित्ति स्तम्भ हैं। इन गुफाओं के कोने पर लाल और पीले रंग से की गई चित्रकारी के निशान मिलते हैं। विवाह माड़ा की मुख्य गुफा, मंदिर वास्तु शास्त्र के महा मंडप के समकक्ष है। इस महा मंडप के पीछे चार प्रवेश द्वार वाला केन्द्रीय कक्ष (गर्भ गृह) है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आल्हा ऊदल ने इसी स्थान पर शादी की थी।



### माड़ा गुफा तक पहुँच :-

माड़ा की गुफाएं जिला सिंगरौली के वन परिक्षेत्र माड़ा के अन्तर्गत आती हैं। ये गुफाएं जिला मुख्यालय सिंगरौली से लगभग 38 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं एवं संभागीय मुख्यालय रीवा से लगभग 220 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं। वायुमार्ग हेतु निकटतम लालबहादुर शास्त्री अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी से लगभग 260 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इको पर्यटन क्षेत्र माड़ा की गुफाओं में पर्यटकों के प्रवेश हेतु तीन द्वार हैं।

### ईको पर्यटन विकास :-

माड़ा वन क्षेत्र में पाये जाने वाले परिस्थितिकीय पर्यटन स्थलों की विशेषताओं के अनुसार साहसिक खेल एवं अन्य मनोरंजन गतिविधियों को विकसित किया गया है। जैसे प्राकृतिक पगडण्डी, पोल वॉक, कॉम्बो वॉक, मंकी क्रॉल, रोप वॉक, टायर वॉक, हैमाक वॉक, बर्मा ब्रिज रेपलिंग आदि अनेक एडवेंचर विकल्प हैं।

आराम जोन में पगोड़ा, वॉच टावर, ट्री हॉउस, सुलभ केन्द्र आदि का निर्माण कराया गया है। जो रोजाना पूर्वान्ह 6:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक खुला रहता है। पर्यटकों की देखभाल के लिए स्टाफ के सदस्य मौजूद हैं जो मार्गदर्शन करते हैं और विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अनेक सुविधाओं और गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला के साथ, यहाँ पर्यटकों के मनोरंजन की हर सुविधा उपलब्ध है।

प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने, वन की विशालता व रहस्यों को नजदीक से देखने-समझने एवं वन्य प्राणियों के रहवास आदि को जानने-समझने के लिये ट्रैकिंग (पैदल चलना) रुट का चयन किया गया है। ये रुट वन के विभिन्न प्राकृतिक वासों एवं भौमिकीय संरचनाओं से होकर गुजरते हैं। ये 01 से 05 किलोमीटर लंबे हैं। ट्रैकिंग के समय वन में विभिन्न खतरों की जानकारी रखने वाला अनुभवी गाईड (मार्गदर्शक) एवं विशेष निश्चित रूप से पर्यटकों के साथ रहेंगे। आदिवासियों के साथ भ्रमण संस्कृति का अनुभव भी देता है।





### वन्य प्राणी एवं वन :-

यहाँ पर प्राकृतिक पहाड़ियों का सुन्दर मनोरम दृश्य अपने आप में अभूतपूर्व हैं, यहाँ पर हरी-भरी पहाड़ियों, वन्य प्राणी छोटे वन्य जीव जैसे नेवला, लंगूर, खरगोश, गिलहरी, चमगादड़, सेही, भेड़की, नीलगाय, चिंकारा, सांभर एवं चीतल के अतिरिक्त बड़े मांसाहारी वन्यजीव जैसे तेंदुआ, रीछ, सियार, लकड़बग्गा, भैड़िया, लोमड़ी एवं कई प्रकार के सांप देखने को मिलते हैं। यहाँ साल के घने वन एवं मोर का विचरण विशेष आकर्षण का केन्द्र है। साल वनों में मुख्यतः साल प्रजाति के वृक्षों के साथ कंरज, खमेर, महुआ तथा नीम के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की वृक्ष प्रजातियों के साथ-साथ अन्य विभिन्न प्रकार की बेलाएं तथा झाड़ी प्रजातियां भी यहाँ के वनों में विद्यमान हैं।

यहाँ वनक्षेत्र में ऐसे अनेकों स्थल हैं, जो प्राकृतिक रूप से विशिष्ट पहचान रखते हैं जैसे वन, नदी, लैण्डस्केप (भू-निर्मितियां) जिनको प्रबंधन के माध्यम से मनोरंजन अथवा वन्यप्राणी अनुभव को सुविधाजनक बनाने हेतु विकसित कर पर्यटकों को भ्रमण एवं अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।

ईको पर्यटन क्षेत्र माड़ा का संचालन एवं रख-रखाव स्थानीय निवासियों के द्वारा किया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ जागरूक कर वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रेरित किया जाता है।

अखबारों के आईने से ...



## भारतीय वनसेवा के अधिकारियों की पदोन्नति (जुलाई-सितंबर)

1	श्री डॉ. यू. प्रकाशम	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख
2	श्री ए.बी. गुप्ता	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कैम्पा)
3	श्री रमेश कुमार गुप्ता	प्रधानमुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख)
4	श्री प्रदीप वासुदेवा	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कार्य योजना-आंचलिक, जबलपुर
5	श्री पी.एल. धीमान	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
6	श्री मनोज कुमार	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, भोपाल
7	श्री शशि मलिक	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कार्य योजना-आंचलिक, इन्दौर
8	श्री मुद्रिका सिंह	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
9	कैप्टन अनिल कुमार	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मध्य प्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
10	श्री आनंद कुमार सिंह	मुख्य वनसंरक्षक, अनुसंधान विस्तार, जबलपुर
11	श्री नरेन्द्र कुमार सनोड़िया	मुख्य वनसंरक्षक, बालाघाट
12	श्री यमुनाप्रसाद सिंह	मुख्य वनसंरक्षक, शिवपुरी
13	श्री चौक सिंह निनामा	मुख्य वनसंरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रत्तलाम

## भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति (जुलाई-सितंबर)

1	श्री जे. के. मोहन्ती	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख
2	श्री शैवालदासगुप्ता	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ICFRI देहरादून
3	श्री एस. के. सिंह	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, भोपाल
4	श्री बी. के. मिश्रा	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, भोपाल
5	श्री एस.सी. सिलावट	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, आंचलिक इंदौर
6	श्री ओ.पी. तिवारी	मुख्य वन संरक्षक, एस.एफ.आर.आई, जबलपुर
7	श्री. एस. पी. तिवारी	मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त, भोपाल
8	श्री गोपाल कछावा	व.मं.अ. अलीराजपुर

# हमने बीता कल देखा है.....!

जहां न दिन में धूप पहुंचती, सरे शाम होता अंधियारा,  
मेरी पीढ़ी कह सकती है कानन को अविरल देखा है॥

मीलों खड़े मौन योगी से गगन चूमते वृक्ष घाट के,  
ये निसर्ग की सौगतें हैं  
सर्वश्रेष्ठ जो मिलीं छांट के,  
द्रुत गति से इस हरियाली को अब होते मरु-थल देखा है-  
हमने बीता कल देखा है॥


मौसम की स्थिरता भी थी  
ऋतु का चक्र न दायें बायें,  
दो गज़ नीचे ही भू-जल था  
नदियां रहीं सदानीरायें,  
सावन बिना कजलियां देखीं, नीर बिना बादल देखा है॥  
हमने बीता कल देखा है॥

दूर पास के विटप अधिकतर  
हो तब्दील गये ढूँठों में,  
नीङ़ हीन हो गये परिंदे  
मीत हुए शामिल रुठों में,  
तुमने मानसरोवर हमने बीहड़ का चंबल देखा है॥


हमने बीता कल देखा है॥  
हेर फेर में बस पीतल के  
स्वर्ण कोष को लुटा दिया है,  
जिनका जोड़ गुणा होना था  
उनको हमने घटा दिया है,  
वैकल्पिक वृक्षारोपण का क्या आखिर हासिल देखा है॥

हमने बीता कल देखा है॥.....


रत्नदीप खरे  
अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त झाबुआ  
9826043425



Theme- Uprooted







Every day  
I supply oxygen  
for up to 4 people.  
Dont you think  
I am worth saving?

**say**trees



Published by :- APCCF (R/E) on behalf of MP Forest Department.

Printed by :- Super Printers & Plastics Works on behalf of Madhya Pradesh Madhyam.

Printed at :- Super Printers & Plastics Works, Plot No. 22 Nadeem House, Press Complex Zone 1 MP Nagar, Bhopal.

Published at Room No. 140, Prachar Prasar Prakosh, Satpura Bhawan, Bhopal, M.P.

Email :- [pracharprasarprakosth@mp.gov.in](mailto:pracharprasarprakosth@mp.gov.in), Contact No. 0755-2524293, Editor :- Dr. P.C. Dubey, APCCF (R/E)